

60 वाँ  
th

वार्षिक प्रतिवेदन  
**ANNUAL  
REPORT  
2023-2024**



**इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड**

(भारत सरकार संस्थान)

**Instrumentation Limited**

(A Government of India Enterprise)

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| निदेशक मण्डल     | : श्री थंगावेलु रवि   | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>अतिरिक्त प्रभार<br>(24.03.2023 से 24.09.2024)              |
|                  | श्री राजेश कुमार  | निदेशक (सरकार के नामित)<br>निदेशक, भारी उद्योग विभाग<br>(03.09.2020 से)                 |
|                  | श्री मदनपाल सिंह  | निदेशक (सरकार के नामित)<br>संयुक्त निदेशक (वित्त), भारी उद्योग विभाग<br>(09.11.2020 से) |
|                  | डॉ. श्रीमती आर एच लता   | स्वतन्त्र निदेशक (02.11.2021 से)  |
| कम्पनी सचिव      | : श्रीमती अंजली गुप्ता  |   |
| लेखा परीक्षक     | : मेसर्स एन. सिंघल एण्ड कम्पनी, जयपुर<br>मेसर्स नाथन राजा एण्ड कम्पनी, पालक्कड़ | सांविधिक लेखा परीक्षक<br>शाखा लेखा परीक्षक  |
| पंजीकृत कार्यालय | : जी-229, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया,<br>जयपुर-302022 (राज.)                   |   |
| निर्माण कार्य    | : कांजीकोड (पश्चिम),<br>पालक्कड़-678623 (केरल)                                  |   |

## विषय-सूची

|  |    |
|--|----|
| अध्यक्षीय प्रतिवेदन                        | 3  |
| निदेशकों की रिपोर्ट                        | 7  |
| नियंत्रक एवं महालेखा-परिक्षक की टिप्पणीयाँ | 25 |
| लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट                  | 26 |
| तुलन पत्र                                  | 34 |
| लाभ-हानि वक्तव्य                           | 35 |
| रोकड़ प्रवाह वक्तव्य                       | 36 |
| वित्तीय लेखों पर टिप्पणियां                | 37 |

## अध्यक्षीय प्रतिवेदन

### प्रिय सदस्यों,

मुझे कम्पनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करते हुए अति हर्ष है। निदेशकीय प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षित लेखे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां आपके समक्ष हैं, और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मान लेता हूँ।

### प्रदर्शन :

वर्ष 2023-2024 के दौरान कम्पनी ने ₹ 9585.57 लाख (लक्ष्य 9000 लाख रुपए) का कारोबार हासिल किया है, जबकि 2022-2023 में ₹ 7876.92 लाख का कारोबार होगा। 2023-24 में कुल आय ₹ 10178 लाख रही, जबकि 2022-23 में यह ₹ 8310 लाख थी। पिछले वर्ष की ₹ 11216 लाखकी ऑर्डर बुकिंग की तुलना में ऑर्डर बुकिंग ₹ 12479 लाख रुपए (लक्ष्य ₹12000 लाख) रही।

वर्ष 2023-2024 में परिचालन लाभ ₹ 1292 लाख है, जबकि 2022-23 में यह ₹ 1097 लाख था। इसी प्रकार, 2023-24 में कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ 701.00 लाख है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 486.07 लाख था।

मैं कम्पनी को मार्गदर्शन देने में भारी उद्योग मंत्रालय के अत्यधिक सहयोग को दर्ज करना चाहूंगा, जिससे कम्पनी को टर्नओवर और अश्वर्डर बुकिंग के लक्ष्य को पार करने में मदद मिली।

₹ 701 लाख का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में भुगतान किए गए पूर्व अवधि के लिए सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 396 लाख के वेतन संशोधन बकाया की कटौती के बाद है।

कम्पनी ने अपने पोर्टफोलियो में 15 नए ग्राहक जोड़े हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 55 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर निजी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बेहतर खरीद

प्रक्रिया, स्मार्ट निष्पादन रणनीति द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्डर निष्पादित करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए गए, ताकि ऑर्डर निष्पादित करने में आसानी के लिए बैलेंस आइटम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पुनः-मूल्यांकन किया जा सके और पुनःऑर्डर स्तर की इन्वेंट्री को ठीक किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिकता वाले ऑर्डर निष्पादित हुए और कम्पनी का संचालन जारी रहा और कम्पनी बाजार में व्यवधानों को सफलतापूर्वक दूर करने में सफल रही।

बाजार और वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी संगठनात्मक मुद्दों को ठीक से संबोधित किया गया। कम्पनी के पास अपनी खुद की तकनीक होने की आंतरिक ताकत है और हमारे पास अच्छे ऑर्डर हैं और हम 2024-2025 में अपनी ऑर्डर बुकिंग और टर्नओवर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन सक्षम प्रबंधकों, कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों और बेहद अच्छे औद्योगिक संबंधों के कारण असंभव नहीं है।

### आईएसओ 9001 (2015) आईएसओ 14001 (2015) तथा ओएचएसएस-45001 (2018) प्रमाणीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001/2015 और ओएचएसएस 45001(2018) प्रमाणन प्राप्त किया है। इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं का दर्जा मिला है, जिसकी समकालीन व्यवसाय में बहुत आवश्यकता है। कम्पनी ने विशेष रूप से तेल और गैस और प्राकृतिक गैस क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को आपूर्ति के लिए

आईएसओ 29001 गुणवत्ता प्रमाणन भी हासिल किया है। आईएल यह प्रमाणन पाने वाली देश की एकमात्र नियंत्रण वाल्व कंपनी है। इससे निश्चित रूप से निर्यात सहित इस क्षेत्र में कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

### **भारी उद्योग विभाग के साथ समझौता ज्ञापन :**

डीपीई के पत्र संख्या एम-03/0009/2019-डीपीई (एमओयू) दिनांक 29.10.2021 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए एमओयू लक्ष्य आंतरिक रूप से तय किया गया था और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा निगरानी की गई थी, तदनुसार विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान एमएचआई कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी एमएचआई द्वारा की जा रही है। वर्ष 2023-2024 के लिए एमएचआई को सौंपे गए एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, कंपनी ने परिचालन से राजस्व, ऑर्डर बुकिंग और परिचालन लाभ के लिए उत्कृष्ट रेटिंग और पीएटी के लिए अच्छी रेटिंग के अनुरूप लक्ष्य हासिल किए हैं।

### **सहायक कम्पनी की स्थिति :**

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

### **कम्पनी की वर्तमान स्थिति**

कंपनी भारत सरकार से किसी भी प्रकार की मौद्रिक सहायता के बिना एमएचआई के तहत स्वतंत्र रूप से अपने संचालन को लाभदायक तरीके से बनाए रख रही है।

### **कोटा ईकाई बन्द करने की स्थिति :**

वडोदरा और मुंबई में अन्य संपत्तियों के निपटान को छोड़कर, जो मुद्राकरण की प्रक्रिया में हैं, कोटा को बंद करने की गतिविधियां पूरी हो गई हैं।

### **आगे का मार्ग :**

मैं यह कहना चाहता हूँ कि निरंतर प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद, बीता साल कारोबार के हर पहलू से संतोषजनक माना जा सकता है, खास तौर पर परिचालन के लिहाज से। कंपनी ने बाजार में अपने उत्पादों की मौजूदगी बनाए रखने, नए ग्राहक जोड़ने, नए उत्पाद जोड़ने और नए कारोबारी क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए। हमने पूरी ईमानदारी से ग्राहकों का भरोसा जीतने की कोशिश की है, जिससे हमें परिस्थितियों का सामना करने की ताकत मिली।

### **भविष्य की सम्भावनाएँ :**

कंपनी के पास अपनी स्वदेशी तकनीक है और प्रक्रिया उद्योगों की नवीनतम और गंभीर परिचालन स्थितियों के अनुसार नए उत्पादों को डिजाइन करने में सक्षम है। कंपनी अंतिम उपयोगकर्ता की प्रवाह आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा उत्पादों को अनुकूलित करने में भी सक्षम है। इस तरह कंपनी आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के विजन को हासिल कर रही है।

आईएल द्वारा विकसित और व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए गए चार नए उत्पादों ने अच्छे ऑर्डर दिए हैं और वर्ष 2023-24 में ऑर्डर बुकिंग में 35 प्रतिशत का योगदान दिया है। 6 नए उत्पादों के विकास का काम चल रहा है।

निर्मित उत्पाद तकनीकी रूप से किसी भी विदेशी निर्माता या बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों के बराबर और कभी-कभी कम लागत पर प्रदर्शन में बेहतर होते हैं। कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी हैं और निजी खिलाड़ियों के बराबर हैं।

कंपनी बाजार की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को पूरा करने में सक्षम है और प्रतिस्पर्धियों की मूल्य निर्धारण रणनीति को समझने और अगली आवश्यकताओं के लिए खुद को

बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए प्रत्येक निविदा उद्घाटन परिणामों का विश्लेषण करती है।

कंपनी द्वारा जिन क्षेत्रों/कार्यक्षेत्रों की पूर्ति की गई है उनमें परमाणु, अंतरिक्ष, परमाणु अनुसंधान, स्टील, थर्मल, पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, शोधन, उर्वरक, कागज और लुगदी, खनिज और खनन आदि शामिल हैं।

किसी खास सेक्टर में मांग में उतार-चढ़ाव का असर कंपनी के कारोबार पर नहीं पड़ेगा। कंपनी के उत्पादों की आवश्यकता इन क्षेत्रों को प्रारंभिक सेट-अप, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के दौरान और पुर्जों के रूप में कुछ वर्षों के उपयोग के बाद मौजूदा वाल्वों के प्रतिस्थापन के लिए भी होती है। अतः मौजूदा परियोजनाओं से और भविष्य में आने वाली नई परियोजनाओं से लगातार व्यापार होता रहेगा।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा थर्मल पावर क्षेत्र को बढ़ावा देने और 20800 मेगावाट से अधिक इकाइयों को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप थर्मल क्षेत्र से बीएचईएल, जीई पावर, एलएंडटी एमएचपीएस आदि से ऑर्डर बुकिंग में वृद्धि हुई है और आईएल को 2024-25 में लाभ मिलना जारी रहेगा, क्योंकि ऐसी कंपनियों द्वारा नियंत्रण वाल्व के लिए निविदाएं अंतिम रूप दी जाएगी।

ग्राहकों के स्पेक्ट्रम में निजी कंपनियाँ जैसे कि जी.ई. पावर, एल.एंड.टी., रिलायंस, अडानी, टी.एल.टी. इंजीनियरिंग, टाटा स्टील, जे.एस.डब्ल्यू, आर्सेलर मित्तल, आदि विशुद्ध सरकारी संगठन जैसे कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, राज्य विद्युत बोर्ड सी.पी.एस.ई. जैसे कि एन.पी. सी.आई.एल., वी.एच.ई.एल., एस.ए.आई.एल., ओ. एन.जी.सी., एन.एफ.एल., एन.टी.पी.सी., एन.एल.सी., जी.एन.एफ.सी., आदि, तथा सलाहकार जैसे कि ई.आई.एल., टेक्निप, थर्मैक्स, थिसेन क्रुप, आदि शामिल हैं। कंपनी को बार-बार ऑर्डर मिल रहे हैं। ग्राहकों का व्यापक स्पेक्ट्रम भविष्य में व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। 55 प्रतिशत ऑर्डर बुकिंग निजी क्षेत्र से होती है।

कंपनी ने एनपीसीआईएल, इसरो, आईजीसीएआर, बीएचईएल, ईआईएल जैसे अत्यधिक तकनीकी रूप से मांग करने वाले ग्राहकों के लिए 6 नए उत्पादों का विकास किया है और एफजीडी और एससीआर प्रौद्योगिकियों जैसी जलवायु नियंत्रण प्रक्रिया प्रणालियों के लिए वाल्व का विकास किया है। ये सभी नई पहल भविष्य में कंपनी के व्यवसाय संचालन की निरंतरता और विस्तार सुनिश्चित करेंगी।

### सतर्कता :

कंपनी अपने संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता, निर्णय लेने की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और इसकी निगरानी करती है। हमारे पास सतर्कता विभाग, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी है। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रबंधन के एक प्रभावी भाग के रूप में कार्य किया। हमारा अधिक जोर हमेशा निवारक सतर्कता पर दिया जाता है

### औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे तथा हमेशा की तरह सुचारू संचालन में सहायक रहे। चालू वर्ष में कंपनी ने सकारात्मक समग्र वातावरण के साथ औद्योगिक अनुशासन के मामले में बहुत सुधार किया है, यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से यूनियनों द्वारा किसी भी व्यवधान/गोट मीटिंग की एक भी घटना नहीं हुई है। यूनियनों की अपेक्षाओं/मुद्दों को कंपनी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से ही ध्यान में रखा जाता है और उनका समाधान किया जाता है।

मैं कंपनी में अद्वितीय कार्य संस्कृति को उजागर करना चाहूँगा, जो कर्मचारियों (विशेष रूप से युवा पीढ़ी जिनके पास बहुत सारे नए विचार हैं) को बहुत अधिक परिचालन स्वतंत्रता देता है, काम के दौरान होने वाली

त्रुटियों और चूक के लिए नवप्रवर्तकों को क्षतिपूर्ति करके सभी स्तरों पर नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे डर के बिना कड़ी मेहनत और तेजी से काम करने का माहौल बनता है। हम आईएल में हमेशा अन्य कंपनियों (ग्राहकों/विक्रेताओं) की नई/अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और नियमित रूप से हमारे लिए प्रासंगिक विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। कंपनी में ईमानदार और नैतिक कार्य संस्कृति हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

### निगमित प्रशासन :

मेरा दृढ़ विश्वास है कि दीर्घकालिक कश्चपेरिट लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार के मूल सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अच्छा कश्चपेरिट प्रशासन आवश्यक है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन करने की प्रतिबद्धता है। कंपनी के सभी परिचालन और गतिविधियों के समग्र संवर्धन के लिए यह अनिवार्य है। सभी लागू कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश/रिपोर्ट समय पर पूरी/प्रस्तुत की जाती हैं।

### आभार :

मैं बोर्ड में अपने सहकर्मियों के प्रति भी अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कंपनी को मार्गदर्शन देने में अपना बहुमूल्य योगदान और सहयोग दिया है।

मैं आपसे निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन की अपेक्षा करता हूँ जैसा कि कंपनी को अब तक प्राप्त हुआ है। हम भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों और प्राधिकरणों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने कंपनी को सहायता और समर्थन दिया है।

मैं बोर्ड और अपनी ओर से अपने सभी सहकर्मियों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों और विक्रेता भागीदारों, व्यापार सहयोगियों, स्थानीय सरकारी विभागों और कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति से मिले समर्थन और विश्वास के लिए गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ।

हम कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों और सीएजी को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए भी आभारी हैं।

मैं भारतीय स्टेट बैंक को उनके भरपूर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे एमएसई विक्रेताओं का आभारी हूँ, जिनसे हम लगभग 65 प्रतिशत इनपुट प्राप्त करते हैं और जो एमएसई द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें व्यवसाय सहयोग के लिए कंपनी के निरंतर समर्थन का आश्वासन देता हूँ।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के माध्यम से किए गए अपार योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अच्छे औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में प्रबंधन को उनके भरपूर समर्थन के लिए यूनियनों की भी सराहना करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष 2023-2024 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और "लाभ और हानि" के विवरण को अनुमोदित और अपनाए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

**राजेश कुमार**

दिनांक 04 अक्टूबर 2024

# निदेशकीय प्रतिवेदन

शेयर धारकों,

(₹ लाखों में)

देवियों और सज्जनों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण, सांविधिक अंकेषकों के प्रतिवेदन एवं उन पर टिप्पणीयां तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा सहित कम्पनी का 60वाँ वार्षिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए, हर्ष हो रहा है।

## निष्पादन के प्रमुख बिन्दु

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ यूनिट पूरी तरह से चालू है और कोटा यूनिट बंद है। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार एक 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें राजस्व को मान्यता दी गई है और लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली पर व्यय का लेखा-जोखा रखा गया है।

डीपीई के पत्र संख्या एम 03/0009/2019-डीपीई (एमओयू) दिनांक 29.10.21 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए एमओयू लक्ष्य आंतरिक रूप से निर्धारित किए गए थे और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा निगरानी की गई थी।

वर्ष 2023-2024 के दौरान, कंपनी ने ₹9585.57 लाख का टर्न ओवर हासिल किया जबकि वर्ष 2022-23 में यह टर्नओवर ₹ 7876.92 लाख था। वर्ष 2023-2024 के दौरान कुल आय ₹10178 लाख रुपये थी जबकि वर्ष 2022-23 के में यह ₹8310 लाख रुपये थी।

वर्ष 2023-2024 के लिए शुद्ध लाभ ₹ 1291.98 लाख रुपये है जबकि पिछले वर्ष यह शुद्ध लाभ ₹ 1097.14 लाख था।

वर्ष 2023-2024 के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ 701 लाख रुपये है जबकि पिछले वर्ष यह शुद्ध लाभ ₹ 487.07 लाख था।

₹ 701 लाख रुपये का पीएटी वित्त वर्ष 2023-24 में भुगतान किए गए पूर्व अवधि के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 396 लाख रुपये के वेतन संशोधन बकाया की कटौती के बाद है।

## परिचालन के परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के परिचालन परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार दी गई हैं:

| क्र.सं. | विवरण  | 2023-2024       | 2022-2023      |
|---------|--|-----------------|----------------|
| (ए)     | आवर्त  | 9585.57         | 7876.92        |
|         | आन्तरिक उपयोग हेतु कार्य                     | -               | -              |
|         | आवर्त (नेट)                                  | 9585.57         | 7876.92        |
| (बी)    | अन्य राजस्व                                  | 593.23          | 433.33         |
|         | <b>कुल आय</b>                                | <b>10178.80</b> | <b>8310.25</b> |
| (सी)    | सामग्री पर व्यय                              | 4605.85         | 3531.43        |
| (डी)    | वृद्धि(कमी)                                  | (388.69)        | (302.63)       |
| (ई)     | कर्मचारियों का पारिश्रमिक और अनुलाभ          | 2734.71         | 2348.01        |
| (एफ)    | सेवा एवं उप संविदाएं                         | 866.02          | 629.46         |
| (जी)    | वित्तीय लागत                                 | -               | -              |
| (एच)    | हास एवं आस्थगित                              | 124.71          | 148.68         |
| (आई)    | अन्य व्यय                                    | 944.22          | 858.16         |
| (जे)    | <b>कुल खर्च</b>                              | <b>8886.82</b>  | <b>7213.11</b> |
| (के)    | लाभ/(हानि) असामान्य व असाधारण मद और कर पूर्व | (1291.98)       | 1097.14        |
| (एल)    | असामान्य मद                                  | (590.98)        | (611.06)       |
| (एम)    | कर एवं असाधारण मद पूर्व लाभ/(हानि)           | 701.00          | 486.07         |
| (एन)    | असाधारण मद                                   | -               | -              |
| (ओ)     | टेक्स पूर्व लाभ/हानि                         | 701.00          | 486.07         |
| (पी)    | टेक्स  | -               | -              |
| (क्यू)  | कर एवं समायोजन पश्चात् लाभ/(हानि)            | 701.00          | 486.07         |

## आदेश प्राप्ति

समीक्षाधीन वर्ष (2023-2024) के दौरान कंपनी को अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मार्जिन पर गंभीर दबाव पड़ा। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के कारण, कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी और पिछले वर्ष की ₹ 11216 लाख की ऑर्डर बुकिंग की तुलना में ₹12479 लाख के ऑर्डर बुक किए। कंपनी को प्राप्त कुछ प्रमुख और प्रतिष्ठित आर्डर इस प्रकार हैं-

- जलवायु नियंत्रण अनुप्रयोग के लिए रबर लाइन्ड बटरफ्लाई वाल्व जिसकी कीमत ₹664 लाख है, बीएचईएल से प्राप्त हुई।
- जिन्दल स्टील एण्ड पावर से ₹310 लाख का कंट्रोल वाल्व का आर्डर।
- बीपीसीएल कोच्चि से ₹181 लाख का कंट्रोल वाल्व का आर्डर।



- डी) भारतीय रेल एनटीपीपी से ₹164 लाख का कंट्रोल वाल्व का आर्डर।
- ई) प्री-टेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड से ₹148 लाख का कंट्रोल वाल्व का आर्डर।

### आई.एस.ओ.-9001(2015), आई.एस.ओ.-14001 (2015) एवं ओ.एच.एस.एस. (2018) प्रमाणीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001/2015 और ओएचएसएस 45001(2018) प्रमाणन प्राप्त किया है। इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं का दर्जा मिला है, जिसकी समकालीन व्यवसाय में बहुत आवश्यकता है। कंपनी ने विशेष रूप से तेल और गैस और प्राकृतिक गैस क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को आपूर्ति के लिए आईएसओ 29001 गुणवत्ता प्रमाणन भी हासिल किया है। आईएल यह प्रमाणन पाने वाली देश की एकमात्र नियंत्रण वाल्व कंपनी है। इससे निश्चित रूप से निर्यात सहित इस क्षेत्र में कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

### विक्रय एवं सेवाएँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹9585.57 लाख का कारोबार हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष 2022-2023 के दौरान ₹7876.92 लाख का कारोबार हुआ था। कंपनी ने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अश्वर्डर निष्पादित करना जारी रखा और बिक्री के बाद प्रभावी सेवाएँ प्रदान कीं। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं की सेवा आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अपने बिक्री के बाद सेवा विभाग में और अधिक संसाधन जोड़े हैं।

### निर्यात

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात में 3 गुना वृद्धि की तथा ₹ 238.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 81.64 लाख रुपये) का निर्यात कारोबार हासिल किया।

### लाभांश

निदेशकों ने ₹210 लाख के लाभांश की सिफारिश की है जो पीएटी का 30 प्रतिशत है और डीपीई के मानदंडों के अनुसार है।

### आरक्षित

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निदेशकों ने किसी भी राशि को आरक्षित करने का प्रस्ताव नहीं किया।

### जमाओं का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 सपटित कम्पनीज (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के अन्तर्गत न तो कोई जमा स्वीकार की है और न ही नवीकृत किया है।

### वित्त

31.3.2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 2404.53 लाख रही तथा इक्विटी और वरीयता शेयरों के आवंटन के लिए शेयर आवेदन राशि ₹12200.96 लाख लंबित है। 31-03-2024 तक कोटा कॉम्प्लेक्स को बंद करने के लिए भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 51494.83 लाख रुपये (₹58457 लाख में से) को इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है।

### सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों से ऋण

भारत सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियों और अन्य देयताओं के भुगतान के लिए कोटा कॉम्प्लेक्स को बंद करने के निर्णय के विरुद्ध ₹ 58457.00 लाख का ऋण प्रदान किया।

### कार्यशील पूंजी

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान इन्वेंट्री और विविध देनदार क्रमशः ₹ 5725.78 लाख और ₹ 4606.37 लाख थे, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः ₹ 4258.88 लाख और ₹ 4966.10 लाख थे। कंपनी का संचालन पर्याप्त कार्यशील पूंजी के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। कंपनी ने अपनी कार्यशील पूंजी के लिए बैंक के पास उपलब्ध नकद ;ण सीमा का उपयोग नहीं किया है और देनदारों के लिए प्राप्त संग्रह से अपने सभी संचालन का प्रबंधन किया है।

### भारी उद्योग विभाग से एम.ओ.यू.

डीपीई के पत्र संख्या एम-03/0009/2019- डीपीई (एमओयू) दिनांक 29.10.2021 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए एमओयू लक्ष्य आंतरिक रूप से तय किया गया था और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा निगरानी की गई थी, तदनुसार विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान एमएचआई कंपनी को प्रदर्शन की निगरानी एमएचआई द्वारा की जा रही है। वर्ष 2023-2024 के लिए एमएचआई को सौंपे गए एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, कंपनी ने परिचालन से राजस्व, ऑर्डर बुकिंग और परिचालन लाभ के

लिए उत्कृष्ट रेटिंग और पीएटी के लिए अच्छी रेटिंग के अनुरूप लक्ष्य हासिल किए हैं।

## भावी योजनायें

कंपनी प्रक्रिया उद्योगों के लिए नियंत्रण वाल्व के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी अपने उत्पादों के निर्माण और अपने ग्राहकों की नई, गंभीर और अनुकूलित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी स्वदेशी तकनीक से सुसज्जित है। कंपनी के पास नए उत्पादों और उनकी विविधताओं को विकसित करने की क्षमता है जो भविष्य के विकास के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है।

कंपनी ने पाइपलाइन अनुप्रयोगों के लिए थर्ड पार्टी इंसपेक्शन सर्विसेज और वाल्व के नए वर्टिकल में विविधता लाई है। अंतरिक्ष उद्योग को स्वदेशी समाधान प्रदान करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, कंपनी ने गगनयान मिशन के परीक्षण के लिए 5 विशेष नियंत्रण वाल्व वितरित किए हैं।

कंपनी ने 6 नए उत्पादों का विकास शुरू किया है। कंपनी की सभी पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि भविष्य की संभावना उज्ज्वल है और कंपनी विकास के पथ पर है।

## सहायक कम्पनी

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

## प्रबंध में कामगारों की भागीदारी

इस विषय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा कर्मचारियों में अपनेपन और टीम भावना की भावना को बढ़ावा देने के लिए, श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ नियमित बातचीत की जाती है, जहाँ उत्पादकता, दक्षता में सुधार, अनुपस्थिति, अपव्यय को कम करने के लिए विचार-विमर्श के दौरान उपयोगी योगदान सामने आते हैं। औद्योगिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और कार्य दिवसों की हानि की कोई घटना नहीं हुई है।

## अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैन्यकर्मियों आदि के लिए आरक्षण के संबंध में सरकारी निर्देशों का पालन किया गया। वर्ष के अंत में इन श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की

कुल संख्या कुल जनशक्ति का लगभग 14.00 प्रतिशत थी।

## कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध एवं कल्याण

कम्पनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतया मधुर एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

## मानव संसाधन एवं विकास

मानव संसाधन के बेहतर उपयोग और कार्य संर—ति एवं उत्पादकता में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने कर्मचारियों को उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित/पुनः प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए।

## सतर्कता तंत्रीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10) के प्रावधानों की अनुपालना में कम्पनी ने कर्मचारियों एवं निदेशकों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए एक सुरक्षित प्रणाली की स्थापना की है, जो सतर्कता तंत्र का लाभ उठाते हैं और निदेशक एवं कर्मचारी आमतौर पर हमारी कम्पनी के व्यवसाय / व्यवहार / कदाचार / वास्तविक या निलंबित धोखाधड़ी / आचार संहिता के उल्लंघन सहित सीमित या प्रभावित करने के लिए, उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिये सक्षम बनाते हैं। कम्पनी का सतर्क तंत्र कम्पनी की वेबसाइट यानि [www.ilkota.in](http://www.ilkota.in) पर उपलब्ध है।

कोई भी निदेशक या कर्मचारी सीधे अपनी चिंता या शिकायत [cvo@ilkota.in](mailto:cvo@ilkota.in) पर ई-मेल कर सकता है। सीवीओ इसके समाधान के लिए उचित कार्यवाई करेगा।

## सतर्कता गतिविधियां

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रबंधन के एक प्रभावी हिस्से के रूप में कार्य किया और निवारक सतर्कता पर अधिक जोर दिया गया।

## कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत किए गए ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया, कोई गारंटी नहीं दी गई या कोई निवेश नहीं किया गया। वर्ष के दौरान

जारी किए गए सीवीसी के सभी दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया।

## सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संविधा एवं व्यवहारों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) एवं सपठित अध्याय (XII) के अन्तर्गत निर्धारित नियम निदेशकों की बैठक एवं समय समय पर इनके संशोधित अधिकारों में वर्णित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविधा एवं व्यवहार नहीं हुए।

## नियामकों द्वारा महत्वपूर्ण एवं सामग्री आदेश पारित

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की पलक्कड़ इकाई की चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था।

## आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता:-

कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण की उचित और पर्याप्त प्रणाली और सभी वित्तीय और परिचालन कार्यों को कवर करने वाली प्रलेखित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रबंधन द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोड, मैनुअल और प्रक्रियाओं के रूप में हैं, जो सभी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे खरीद, सामग्री, स्टोर, कार्य, वित्त और कार्मिक आदि को कवर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँच और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ क्रम में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों का नियमित और विस्तृत आंतरिक ऑडिट किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कानूनों, विनियमों, मानकों और आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती है।

## वार्षिक रिटर्न से उद्धृत

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनीज प्रबंधन एवं प्रशासन नियम के नियम 12(1) के अन्तर्गत वांछित उद्धरण वार्षिक रिटर्न एम.जी.टी-9 के रूप में अनुसंलग्नक - 1 में दिया गया है।

## निवारक यौन उत्पीड़न नीति

निवारक यौन उत्पीड़न नीति (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के अन्तर्गत कंपनी में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये यौन उत्पीड़न नीति है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) बनाई हुई है सभी कर्मचारियों (स्थायी, अनुबंध, अस्थायी, प्रशिक्षुओं) को इस पॉलिसी के तहत शामिल किया जाता है।

वर्ष 2023-24 में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतें एवं निपटान का सारांश निम्न है -

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| - प्राप्त शिकायतों की संख्या | - | शून्य |
| - निपटान शिकायतों की संख्या  | - | शून्य |

## हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कंपनी ने अपने आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया है और राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर प्रभावी कदम उठाए हैं। संचार में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के अधिक कर्मचारी हिंदी के प्रयोग में रुचि ले रहे हैं। कंपनी में राजभाषा के प्रयोग का निरीक्षण माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किया गया और एक प्रमाण पत्र जारी किया गया।

## विवरणों का प्रकाशन

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 134 (3)(एम) के प्रावधान जो कम्पनी (निदेशक प्रमण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकाशन)नियम 1988 के साथ पठित है, के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है-

## (क) ऊर्जा संरक्षण -

कम्पनी ऊर्जा की प्रमुख उपभोक्ता नहीं है फिर भी सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समस्त कार्य स्थलों पर ऊर्जा बचत के अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरोत्तर पारंपरिक लैम्पों को एलईडी फिटिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

## (ख) तकनीकी अवशोषण – अनुसंधान एवं विकास कार्य :-

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने 4 नए उत्पादों का डिजाइन और विकास किया है। सभी के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने 6 नए उत्पादों का विकास किया है। नियंत्रण वाल्वों के डिजाइन के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर खरीदकर डी एंड ई विभाग को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वास्तविक निर्माण से पहले प्रवाह विशेषताओं का सटीक मॉडलिंग का अनुमान लगाया जा सके और लागत और समय की बचत हो सके। उपरोक्त मर्दों के विकास से उत्पाद पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी और आने वाले वर्षों में कारोबार में वृद्धि होगी।

## (ग) विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 238.70 लाख के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित की (पिछले वर्ष ₹ 81.64 लाख रुपये) जबकि विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 209.33 लाख था, पिछले वर्ष ₹ 216.98 लाख था।

## (घ) प्रदूषण नियन्त्रण

कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि ये कुल मिलाकर प्रकृति में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल हैं और प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी खतरे नगण्य हैं। कंपनी के पास आईएसओ -14001 (2015) ईएमएस प्रमाणन है और मानक के सभी प्रावधानों को बनाए रखा जाता है। कंपनी ने अपना प्रदूषण लाइसेंस बनाए रखा है। कंपनी ने अपने पहले से ही हरे-भरे परिसर में 500 से अधिक पेड़ लगाए हैं। फैक्ट्री परिसर में लगे 150 आम के पेड़ फल दे रहे हैं और हर दिन 40,000 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं। गहन हरित पहल की गई है और स्वच्छता पर भारत सरकार के सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन और कार्यान्वयन किया जाता है।

## (च) सुरक्षा

कंपनी के संचालन में जनशक्ति, मशीनरी और पर्यावरण की सुरक्षा मार्गदर्शक कारक है। समीक्षाधीन वर्ष एक और दुर्घटना-मुक्त वर्ष रहा है। कंपनी के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ओएचएसएस-45001 (2018) आईएसओ प्रमाणन है। कंपनी सेफ्टी काउंसिल केरल के मार्गदर्शन में नियमित सुरक्षा अभ्यास भी करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी कर्मचारी और आगंतुक निर्धारित सुरक्षा गिथर पहनें।

## कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) जोकि कंपनी प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और वेतन नियम 2016 के साथ पठित है के नियम 5(2) एवं 5(3) के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को वर्ष में ₹102,00,000/- या ₹8,50,000/- रुपये मासिक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जानकारी शून्य समझी जाये।

## दायित्व वचन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अन्तर्गत निदेशक पुष्टि करते हैं:-

- (अ) कि वार्षिक लेखे तैयार करने में मान्य लेखा मानक लागू किए गए हैं तथा उनमें किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है-
- ब) कि उन्होंने वे लेखा नीतियाँ अपनाई व उनको दृढ़ता से लागू किया गया कि उनके निर्णय एवं आंकलन पूर्णतया तार्किक एवं सत्य हैं, इस वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यकलापों की एक सच्ची तथा साफ तस्वीर पेश करते हैं साथ ही इस काल के दौरान कम्पनी में लाभ और हानि की स्थिति की भी।
- (स) कि उन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पकड़ने में पर्याप्त सावधानी रखी है और इसके लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड बनाए गए हैं।

- (द) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को "नोट गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है। जिसमें राजस्व को मान्यता दी गई है और लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली पर खर्च किए गए खर्च हैं।
- (च) निदेशकों ने सभी लागू नियमों की उचित अनुपालना हेतु एक प्रणाली की रचना की है और वे प्रणालियाँ पर्याप्त है तथा सही कार्यशील हैं।

## निगमित प्रशासन

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) का मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यक है। आईएल सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को तिमाही आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में संलग्न हैं।

## कोटा कॉम्प्लेक्स का बन्द होना :

केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 30.11.2016 के निर्णय और डीएचआई के दिनांक 08.12.2016 के निर्देशों के अनुसार, कोटा कश्मिलेक्स के लिए सभी बंद करने की गतिविधियाँ निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की गई हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों की कार्यमुक्ति, मुंबई में 12 फ्लैट और वडोदरा में 1 फ्लैट को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों की बिक्री शामिल है।

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई का केरल सरकार को हस्तांतरण नहीं किया जा सका क्योंकि गठित उच्च स्तरीय समिति ने पलक्कड़ इकाई के स्वामित्व वाली 566.30 एकड़ भूमि के मूल्य पर विचार नहीं किया था, जिसे 30.03.1964 के औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के नियमों के तहत पुडुस्सेरी केरल में प्रेसिजन इंस्ट्रुमेंटेशन परियोजना की स्थापना के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को रजिस्ट्री पर सौंपा गया था, जिसका हस्तांतरण के तौर-तरीकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के मामले पर चर्चा करने के लिए केरल सरकार की अनिच्छा के कारण भूमि का मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका।

कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय को जयपुर (आरओसी जयपुर) से पलक्कड़ (आरओसी त्रिवेन्द्रम) में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है और शुरू की जा रही है।

भारत सरकार से प्राप्त ₹584.57 करोड़ की कुल निधि में से, ₹561.64 करोड़ की राशि का उपयोग भविष्य निधि, वीआरएस/वीएसएस, बैंकर्स टैक्स, असुरक्षित लेनदारों की देनदारियों के निपटान और निगरानी और वार्ड खर्चों के लिए किया गया है। ₹12.51 करोड़ की धनराशि भारत सरकार को वापस लौटा दी गई है। भविष्य में कोटा कॉम्प्लेक्स की किसी भी देनदारी के निपटान के लिए कंपनी के पास ₹10.42 करोड़ की राशि रखी हुई है। इसमें से ₹ 8.88 करोड़ रुपये आरईआईएल के शेयर भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

## लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं। तदनुसार, मेसर्स एन. सिंघल एंड कंपनी, जयपुर को वैधानिक लेखा परीक्षक और मेसर्स नाथन राजा एंड कंपनी पलक्कड़ को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईएल पलक्कड़ के खातों की लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 07.09.2024 की अपनी रिपोर्ट में कुछ योग्यताएं बताई हैं। वे बहुत मामूली प्रकृति की हैं। योग्यताएं/शर्तें निदेशकों के उत्तरों के साथ संलग्न अनुलग्नक-III में दी गई हैं, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

## लागत लेखा परीक्षक

कंपनी का टर्नओवर ₹ 95.85 करोड़ है, जो कि कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम, 2014 के नियम-4 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि लागत ऑडिट की आवश्यकता को गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए सभी उत्पादों या सेवाओं के लिए ₹ 100 करोड़ और व्यक्तिगत उत्पाद या सेवा के लिए ₹ 35 करोड़ के टर्नओवर आधारित सीमा के अधीन किया गया है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के लिए लागत ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।

## लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम्पनी या इसके अधिकारी अथवा कर्मचारी की लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी के बोर्ड को किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के तहत सीएजी की टिप्पणियों की एक प्रति अनुबंध-IV में दी गई है।

## निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की 5 बैठक हुई। बैठकों का विवरण अनुलग्नक II पर कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रतिवेदन में दिया गया है।

## लेखा परीक्षा समिति :

आई.एल. द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 177 की शर्तों एवं डी.पी.ई. मार्गदर्शिका के अनुसार एक लेखा परीक्षा समिति गठित की गई। लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाने से पूर्व समीक्षा की गई। समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय विवरण के सही पर्याप्त एवं विश्वसनीय होने को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया एवं उसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण करती है। लेखा परीक्षा समिति को सन्दर्भ की शर्तों में सम्मिलित है।

## लेखा परीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2024 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्न प्रकार रही -

1. डॉ. श्रीमती आर. एच. लता, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष।
2. श्री राजेश कुमार, सदस्य।
3. श्री मदन पाल सिंह, सदस्य।
4. श्री थंगावेलू रवि, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विशेष आमंत्रित।

निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति की बैठक दो बार 17.02.2023 एवं 08.09.2023 को हुई।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 08.09.2023, 28.10.2023 को दो बार बैठक हुई। 30.06.2023 को आयोजित अपनी 352वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

## कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के तहत स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशक के पद को धारण करने के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त की है।

## संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना :

|                          | ( ₹ लाखों में ) |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|
|                          | 2023-2024       | 2022-2023 |
| (अ) विदेशी ढेर           | 0.00            | 0.00      |
| जनसम्पर्क/व्यापार उन्नयन | 0.00            | 0.00      |
| (स) मनोरंजन व्यय         | 0.00            | 0.00      |

## वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने में विलम्ब का कारण

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की 60वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में देरी के निम्नलिखित कारण हैं :

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर 07.09.2024 को आयोजित विधिवत बोर्ड बैठक में 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते पर निदेशक मंडल की मंजूरी प्रदान की गई है और तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाता उनकी रिपोर्ट के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक को और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(C&AG) को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया है।  
C&AG की टिप्पणियाँ 03.10.2024 को प्राप्त हुईं।

### **अन्य :**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

यह संतोष की बात है कि कंपनी ने अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरी तरह से व्यापार प्राप्तियों के संग्रह से प्रबंधित किया और अपनी सीसी सीमा का उपयोग नहीं किया, जिससे शून्य ब्याज लागत आई। इसके अलावा सभी एमएसई विक्रेताओं, जो शुद्ध खरीद का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, को समय पर या उससे पहले भुगतान किया गया। अन्य सभी विक्रेताओं को भी खरीद आदेश नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया। आईएल देनदारों के तेजी से संग्रह के लिए अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखेगा और अपने विक्रेताओं को समय पर भुगतान जारी करेगा।

### **आभार**

बोर्ड ईमानदारी से दिए गए समर्थन को स्वीकार करता है और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त समर्थन और संरक्षण के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

बोर्ड ईमानदारी से दिए गए समर्थन को भी स्वीकार करता है और सार्वजनिक उद्यम विभाग, सांविधिक लेखा परीक्षक, शाखा लेखा परीक्षक, सरकारी लेखा परीक्षक और कंपनी के बैंकों यानी भारतीय स्टेट बैंक को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना भी व्यक्त करना चाहता है।

**कृते इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड  
के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से**

**राजेश कुमार**

दिनांक 04 अक्टूबर 2024

## सलग्नक - I

### प्ररूप सं. एमजीटी-9

### वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

#### I रजिस्ट्रीकरण और अन्य विवरण :

|  |   |
|--|---|
| (1) सीआईएन   | यू 29299 आर जे 1964 जी ओ आई 001174  |
| (2) रजिस्ट्रीकरण तारीख   | 21-03-1964  |
| (3) कम्पनी का नाम  | इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड  |
| (4) कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी   | सरकारी कम्पनी अंशों तक सीमित दायित्व  |
| (5) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता<br>एवं संपर्क के ब्यौरे                           | हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जी-229, सीतापुरा इण्ड. एरिया,<br>जयपुर (राज.) टेलि. - 0141-2771885 |
| (6) क्या सूचीबद्ध कम्पनी है  | नहीं  |
| (7) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता,<br>यदि हो, का नाम, पता और सम्पर्क के ब्यौरे | लागू नहीं   |

#### II कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

| क्र.सं. | मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी | कम्पनी के कुल आवर्त का % |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.      | कंट्रोल वाल्वस                        | 8481                  | 100.00                   |

#### III नियंत्री, अनुषंगी एवं संयुक्त कंपनियों का विवरण -

| क्र.सं. | कम्पनी का नाम और पता | सीआईएन/जीएलएन | नियंत्री/अनुषंगी/सहयुक्त | धारित शेयर का % | लागू धारा |
|---------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| -       | ----                 | ----          | ----                     | ----            | ----      |

#### IV शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता)

##### (i) श्रेणीवार शेयर धारण

| शेयर धारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या |       |      |                 | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या |       |      |                 | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|-----------------------|---|-------|------|-----------------|--|-------|------|-----------------|--------------------------|
|                       | डिमेंट                                      | भौतिक | कुल  | कुल शेयरों का % | डिमेंट                                 | भौतिक | कुल  | कुल शेयरों का % |                          |
| कं. संप्रवर्तक        |   |       |      |                 |  |       |      |                 |                          |
| (1) भारतीय            |   |       |      |                 |  |       |      |                 |                          |
| (क) व्यक्तिगत/अ.हि.प. | नहीं  | नहीं  | नहीं | नहीं            | नहीं                                   | नहीं  | नहीं | नहीं            | नहीं                     |



|   |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
|---|------|---------|---------|------|------|---------|---------|------|------|
| (ख) केन्द्र सरकार   | नहीं | 240,453 | 240,453 | 100  | नहीं | 240,453 | 240,453 | 100  | नहीं |
| (ग) बैंक/वि.सं.   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (घ) निकाय/निगत  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (च) कोई अन्य  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| उप-योग  |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (क) (1) :-<br>2 विदेशी  | नहीं | 240453  | 240453  | 100  | नहीं | 240453  | 240,453 | 100  | नहीं |
| (क) अ.भा. व्यक्ति   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ख) अन्य व्यक्ति  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ग) निकाय निगत  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (घ) बैंक/वि.सं.   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ड.) कोई अन्य   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| उप योग  |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (क) (2) :-  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| संप्रवर्तक की कुल<br>शेयर धारिता                                      |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (क) =<br>(क) (1)+(क)(2)   | नहीं | 240453  | 240453  | 100  | नहीं | 240453  | 240453  | 100  | नहीं |
| (ख) सार्वजनिक शेयर<br>धारिता  |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| 1. संस्थाएं   |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (क) म्युचुअल फंड  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ख) बैंक/वि.सं.   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ग) केन्द्र सरकार   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (घ) राज्य सरकार (रे)  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ड.) उद्यम पूंजी कोष  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (च) बीमा कम्पनियां  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (छ) विदेशी संस्थागत<br>निवेशक   | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ज) विदेशी उद्यम पूंजी कोष  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करे)  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| उप योग  |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (ख) (1) :-  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| 2. गैर-संस्थागत   |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (क) कारपोरेट निकाय  |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (1) भारतीय  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (2) विदेशी  | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (ख) व्यक्तिगत   |      |         |         |      |      |         |         |      |      |
| (1) 1 लाख रूपए तक की<br>सांकेतिक शेयर पूंजीधारी<br>व्यक्तिगत शेयरधारक | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |
| (2) 1 लाख रूपये से अधिक<br>की सांकेतिक शेयर                           | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं | नहीं    | नहीं    | नहीं | नहीं |

|  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|--|------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|
| पूँजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक<br>(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं |
| उप-योग<br>(ख) (2) :-   | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं |
| कुल सार्वजनिक शेयर धारिता<br>(ख)=(ख) (1)+(ख) (2)             | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं |
| (ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर            | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं | नहीं   | नहीं   | नहीं | नहीं |
| कुल योग (क+ख+ग)  | नहीं | 240453 | 240453 | 100  | नहीं | 240453 | 240453 | 100  | नहीं |

### (ii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता

| क्र. सं. | शेयर धारक एवं नाम                    | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           |   | वर्ष के अन्त में शेयर धारिता |                           |   | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|--|
|          |                                      | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूत/धारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या             | कम्पनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूत/धारित शेयरों का % |  |
| 1.       | भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामांकित | 240,453                          | 100                       | नहीं                                      | 240,453                      | 100                       | नहीं                                      | नहीं   |
|          | योग                                  | 240,453                          | 100                       | नहीं                                      | 240,453                      | 100                       | नहीं                                      | नहीं   |

### (iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में स्पष्ट करें)

| क्र. सं. |   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 240,450                          | 100                       | 240,450                        | 100                       |
| 2        | वर्ष के प्रारम्भ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्या आदि वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/गिरावट | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अन्त में  | 240,450                          | 100                       | 240,450                        | 100                       |

| क्र. सं. | श्री राजेश कुमार<br>(केन्द्र सरकार के नामांकित)   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 01                               | 0.0                       | 01                             | 0.0                       |
| 2        | वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संस्थापकों की अंशधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (उदाहरण - आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेद समता आदि) | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में   | 01                               | शून्य                     | 01                             | शून्य                     |

| क्र. सं. | श्री मदन पाल सिंह<br>(केन्द्र सरकार के नामित)   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 01                               | 0.0                       | 01                             | 0.0                       |
| 2        | वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संस्थापकों की अंशधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (उदाहरण - आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेद समता आदि) | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में   | 01                               | शून्य                     | 01                             | शून्य                     |

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयरधारिता प्रतिमान:

| क्र. सं. | शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता प्रतिमान   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |  | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में  | शून्य                            | शून्य                     | शून्य                          | शून्य                     |
| 2        | बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हुए)  | शून्य                            | शून्य                     | शून्य                          | शून्य                     |

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

| क्र. सं. | निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता  | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |  | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में  | शून्य                            | शून्य                     | शून्य                          | शून्य                     |
| 2        | बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में  | शून्य                            | शून्य                     | शून्य                          | शून्य                     |

| क्र. सं. | श्री बी. बालासुब्रिमनियन<br>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,<br>(केन्द्र सरकार के नामित)   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 01                               | 0.0                       | 01                             | 0.0                       |
| 2        | वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संस्थापकों की अंशधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (उदाहरण - आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेद समता आदि) | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में   | 01                               | शून्य                     | 01                             | शून्य                     |

| क्र. सं. | श्री राजेश कुमार<br>निदेशक<br>(केन्द्र सरकार के नामित)  | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 01                               | 0.0                       | 01                             | 0.0                       |
| 2        | वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संस्थापकों की अंशधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (उदाहरण - आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेद समता आदि) | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में   | 01                               | शून्य                     | 01                             | शून्य                     |

| क्र. सं. | श्री मदन पाल सिंह<br>निदेशक<br>(केन्द्र सरकार के नामित)   | वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता |                           | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता |                           |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|          |   | शेयरों की संख्या                 | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या               | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1        | वर्ष के आरम्भ में   | 01                               | 0.0                       | 01                             | 0.0                       |
| 2        | वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए संस्थापकों की अंशधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी (उदाहरण - आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेद समता आदि) | कोई परिवर्तन नहीं                | कोई परिवर्तन नहीं         | कोई परिवर्तन नहीं              | कोई परिवर्तन नहीं         |
| 3        | वर्ष के अंत में   | 01                               | शून्य                     | 01                             | शून्य                     |

#### (V) ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं, ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता

(राशि रूपये में)

|  | जमाओं को छोड़कर<br>प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण         | निक्षेप     | कुल ऋणग्रस्तता       |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता</b>          |                                |                      |             |                      |
| (i) मूल धन   | नहीं                           | 57,20,619,482        | नहीं        | 57,20,619,482        |
| (ii) देय किन्तु असंदत ब्याज                          | नहीं                           | नहीं                 | नहीं        | नहीं                 |
| (iii) प्रोद्भूत किन्तु असंदेय ब्याज                  | नहीं                           | नहीं                 | नहीं        | नहीं                 |
| <b>योग (i+ii+iii)</b>                                |                                | 57,20,619,482        | <b>नहीं</b> | 57,20,619,482        |
| <b>वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b> |                                |                      |             |                      |
| योजन   | नहीं                           | नहीं                 | नहीं        | नहीं                 |
| कटौती  | नहीं                           | 8,88,36,383          | नहीं        | 8,88,36,383          |
| <b>सकल परिवर्तन</b>                                  | <b>नहीं</b>                    | <b>8,88,36,383</b>   | <b>नहीं</b> | <b>8,88,36,383</b>   |
| <b>वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता</b>            |                                |                      |             |                      |
| (i) मूल धन   | नहीं                           | 56,31,783,099        | नहीं        | 56,31,783,099        |
| (ii) देय किन्तु असंदत ब्याज                          | नहीं                           | नहीं                 | नहीं        | नहीं                 |
| (iii) प्रोद्भूत किन्तु असंदेय ब्याज                  | नहीं                           | नहीं                 | नहीं        | नहीं                 |
| <b>योग (i+ii+iii)</b>                                | <b>नहीं</b>                    | <b>56,31,783,099</b> | <b>नहीं</b> | <b>56,31,783,099</b> |

## (VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को पारिश्रमिक :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक की विशेष्यां   | निदेशक    | कुल राशि  |
|---------|---|-----------|-----------|
| 1.      | सकल वेतन<br>(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन<br>(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियां का मूल्य<br>(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ | -         | -         |
| 2.      | स्टॉक विकल्प  |           |           |
| 3.      | श्रमसाध्य साम्या  |           |           |
| 4.      | कमीशन<br>- लाभ के प्रतिशत के रूप में<br>- अन्य (विनिर्दिष्ट करें)   |           |           |
|         | <b>योग (क)</b>  | -         | -         |
|         | अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा   | लागू नहीं | लागू नहीं |

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक की विशेष्यां                        | निदेशक का नाम         |                   |
|---------|--|-----------------------|-------------------|
| 1.      | स्वतंत्र निदेशक                                | डॉ. श्रीमती आर.एच लता |                   |
|         | (क) बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस | 1,00,000              |                   |
|         | (ख) कमीशन                                      |                       |                   |
|         | (ग) अन्य, विनिर्दिष्ट करें...                  |                       |                   |
|         | <b>योग (1)</b>                                 | <b>1,00,000</b>       |                   |
| 2.      | अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक                      | श्री राजेश कुमार      | श्री मदन पाल सिंह |
|         | (क) बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस |                       |                   |
|         | (ख) कमीशन                                      |                       |                   |
|         | (ग) अन्य, विनिर्दिष्ट करें...                  |                       |                   |
|         | <b>योग (2)</b>                                 |                       |                   |
|         | <b>योग (ख) = (1+2)</b>                         |                       |                   |
|         | <b>कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक</b>                |                       |                   |
|         | अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा                  | लागू नहीं             | लागू नहीं         |

**ग. प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक**

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक की विवरण  |                      |
|---------|--|----------------------|
| 1.      | <b>सकल वेतन</b><br>(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन<br>(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियां का मूल्य<br>(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ | नहीं<br>नहीं<br>नहीं |
| 2.      | स्टॉक विकल्प   | नहीं                 |
| 3.      | श्रमसाध्य साम्या   | नहीं                 |
| 4.      | कमीशन<br>- लाभ के प्रतिशत के रूप में<br>- अन्य, विनिर्दिष्ट करें....   | नहीं<br>नहीं         |
| 5.      | अन्य, विनिर्दिष्ट करें   | नहीं                 |
|         | योग  | नहीं                 |

**(VII) शास्ति / दंड / अपराध उपशमन: कोई नहीं**

| प्रकार                     | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाए गए शास्ति / दंड / अपराध उपशमन की विशिष्टियां | प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक / एनसीएल टी / न्यायालय) | अपील, यदि हो (ब्यौरा दें) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|---------------------------|
| <b>क. कंपनी</b>            |                       |                 |   |  |                           |
| शास्ति                     | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| दंड                        | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| उपशमन                      | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| <b>ख निदेशक</b>            |                       |                 |   |  |                           |
| शास्ति                     | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| दंड                        | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| उपशमन                      | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| <b>ग. चूककर्ता अधिकारी</b> |                       |                 |   |  |                           |
| शास्ति                     | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| दंड                        | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |
| उपशमन                      | नहीं                  | नहीं            | नहीं  | नहीं   | नहीं                      |

# कम्पनी प्रशासन पर रिपोर्ट

(वर्ष 2023-24 के लिए)

(सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसरण में)

आईएल शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और लगातार हितधारकों के मूल्य वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, इसके लिए कारपोरेट प्रशासन के एक ढांचे की स्थापना की है। निर्गमित प्रशासन कंपनी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अग्रणी स्वैच्छिक प्रथाओं, कानूनों तथा नियमों के अनुपालना का एक संयोजन है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्ष व्यापार परीक्षण को पूर्णतः सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों, लागत, रणनीति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जारी रहेगा और कार्रवाई से समस्त हितधारकों का मूल्य बढ़ाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए।

कंपनी के कारपोरेट गवर्नेन्स नीति के लिए प्रबन्धन एवं बोर्ड के प्रभावी कामकाज में पारदर्शिता और खुलेपन की विचारधारा है। यह अच्छे निर्गमित प्रशासन के लिए जरूरी निर्गमित प्रशासन के कोड का मसौदा तैयार करने में नहीं बल्कि इसे व्यवहार में भी लाना चाहिए।

अच्छे शासन सिद्धान्तों का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंपनी निम्न मूल सिद्धान्तों से निर्देशित है :

- बोर्ड एवं इसके सदस्यों को जानकारी के प्रोएक्टिव प्रवाह
- प्रत्यक्षी कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए समितियां
- सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जावे।
- बोर्ड, प्रबन्धन एवं कर्मचारियों द्वारा नैतिक व्यापार आचरण
- आंतरिक नियोजन के लिए मजबूत प्रणाली और प्रक्रियाएं

आपकी कंपनी का बोर्ड लगातार कंपनी की विजन और मिशन के लिए, गुणवत्ता के उत्पाद, उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रक्रिया नियोजन उपकरण क्षेत्र और प्रतिबद्धता में नेतृत्व प्रदान करके भरोसेमन्द बिक्री के बाद सेवा और विपणन गुणवत्ता के उत्पादों के विकास के द्वारा गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास कर रही है।

## बोर्ड एवं समितियाँ :

### अ) निदेशक मण्डल

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल में चार निदेशक थे। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 30.06.2023, 08.09.2023, 28.10.2023, 25.01.2024 एवं 27.03.2024 को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

31 मार्च 2024 को बोर्ड की संचरना का विवरण, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान ओर पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आयोजित बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति रिकार्ड, निदेशकों की संख्या, समिति के रूप में तथा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा सदस्यता का विवरण निम्न है -

| निदेशक का नाम           | श्रेणी   | आवे जित मीटिंग की संख्या | आयोजित बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति संख्या | 28.10.2023 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में निदेशक की संख्या | अन्य कंपनियों की बोर्ड बैठक में भाग लेने की संख्या | अन्य समितियों के अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में उपस्थिति थी |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| श्री वी. बंगाले रवि     | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (अति. प्रभार 25.03.2023 से) | 5                        | 3                                       | उपस्थित   | 1                                  | शून्य  | शून्य  |
| श्री राजेश कुमार        | निदेशक (सकार्यी तामित 03.09.2020 से)                   | 4                        | 5                                       | उपस्थित   | 0                                  | शून्य  | शून्य  |
| श्री मदन पाल सिंह       | निदेशक (सकार्यी तामित 09.11.2020 से)                   | 5                        | 5                                       | उपस्थित   | 1                                  | शून्य  | शून्य  |
| डॉ. श्रीमती आर. एच. लता | स्वतंत्र निदेशक 02.11.2021 से                          | 4                        | 4                                       | लागू नहीं   | 1                                  | शून्य  | लेखा समिति   |

## ब) बोर्ड प्रक्रिया

बोर्ड आमतौर पर त्रैमासिक आधार पर कंपनी के व्यापार एवं वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक तिमाही में एक बार मिलता है। अतिरिक्त बैठकों का आयोजन आवश्यकता होने पर किया जाता है। इन बैठकों का निर्धारण पूर्व में ही किया जाता है और प्रत्येक बोर्ड बैठक का प्रत्येक निदेशक को अग्रिम सूचना लिखित में भेजी जाती है। समस्त मामलों में एजेन्डा नोट विस्तृत जानकारी के साथ और कुछ मामलों में जैसे वित्तीय व्यापार की योजनाएँ, वित्तीय परिणाम आदि को बैठक में टेबल भी किया जाता है।

एजेण्डा और प्रामाणिक टिप्पणियों को अलग से प्रत्येक निदेशक को अग्रिम भेजा जाता है तथा केवल असाधारण मामलों में टिप्पणियों को उसी बैठक में पेश किया जाता है। बैठक के मिनिट्स को भी अग्रिम रूप में प्रत्येक निदेशक को भेजा जाता है तथा अगली बैठक में उन पर सहमति ली जाती है। बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कंपनी के निष्पादन की समीक्षा करता है तथा स्थापित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करता है ताकि उपयुक्त रणनीति बनाई जा सके। मण्डल के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले को निदेशकों की बैठक के लिए अनुमोदन कर सकते हैं जो अध्यक्ष की सहमति से होना चाहिए।

## स) बोर्ड की जिम्मेदारियां

निदेशक मण्डल कंपनी के समग्र कार्य का देखरेख करते हैं और कंपनी प्रबन्धन की नीतियां और उनके प्रभाव की रणनीतिक दिशा का मूल्यांकन करते हैं और हित धारकों के दीर्घकालीन हितों की सेवा सुनिश्चित करता है।

## प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण

### (अ) कारपोरेट अवलोकन

कंपनी, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आई.एल.) का पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है, जिसकी निर्माण इकाई पलक्कड, केरल में स्थापित की गई है, यह एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली सीपीएसई है, जिसका उद्देश्य कोर औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बिजली, इस्पात, तेल, रिफाइनरी आदि की बढ़ती नियंत्रण वाल्व आवश्यकताओं को पूरा करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उत्पादों में नियंत्रण वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, पावर सिलेंडर/एक्ट्यूएटर, ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल आदि शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, कोटा परिसर (जिसमें कोटा इकाई, विपणन इकाई, पी-डीडीसी इकाई और मुख्यालय शामिल हैं) को 18.04.2017 को बंद कर दिया गया।

पलक्कड फैक्ट्री जो आईएसओ 9001/2015, आईएसओ 14001/2015 और ओएचएसएस 45001/2018 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है, पूरी तरह से चालू है।

## उद्देश्य, दृष्टि एवं ध्येय

ध्येय – प्रक्रिया उद्योग की प्रवाह आवश्यकता के लिए सरल, उत्तरदायी और अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।

दृष्टि – प्रक्रिया नियंत्रण वाल्व के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना और भारत और विदेशों में प्रक्रिया उद्योग की पसंद का नियंत्रण वाल्व निर्माता बनना।

उद्देश्य – गुणवत्ता, सेवा, पारदर्शिता, नैतिकता, विनम्रता और स्थिरता।



## अनुसंलग्नक-III

वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के खातों पर दिनांक 07.09.2024 की अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के उत्तर :-

**वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर :**

**(I) अवलोकन - क्रमांक I, III से V :**

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अवलोकन संख्या I, III और V के संबंध में, नोट संख्या 12.2, 32.6 और 32.8 क्रमशः खातों का हिस्सा हैं जो स्वयं व्याख्यात्मक हैं।

**(II) अवलोकन - क्रमांक II**

कंपनी के खिलाफ अधिकारियों के समक्ष पूर्व कर्मचारियों और श्रमिक संघों के संबंध में लंबित मामलों से संबंधित बिंदु संख्या II आकस्मिक देयता पर अवलोकन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

थंगावेलु रवि  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

## अनुसंलग्नक - IV

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट किए जाने वाले ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की तैयारी कम्पनी के प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन उल्लेखित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर सम्मति प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 07 सितम्बर 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा उल्लेखित किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और  
महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से



(एस. अहलादिनी पांडा)

महानिदेशक - लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कार्पोरेट मामले)

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03.10.2024

## स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### सेवा में

सदस्यगण, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### योग्य राय

हमने इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण समाप्त हो गया है, और वित्तीय विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें पलक्कड़ में स्थित कंपनी की शाखा के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट की योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों के लिए, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को इस तरीके से देते हैं। 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना आवश्यक है।

### राय का आधार

- लेखा टिप्पणी संख्या 12.5 जो भवन ₹3,32 लाख के स्वामित्व के सम्पादन नहीं किए जाने के बारे में है।
- कंपनी के खिलाफ विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष पूर्व कर्मचारियों और श्रमिक संघों के संबंध में मामले लंबित हैं। इस संबंध में देयता निर्धारित नहीं है और आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ दायित्वों के लिए प्रावधान करते समय दिनांक 18.04.2024 की एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है। हम अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ दायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैरा 13.3.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अर्जित अवकाश के लिए 18971329/- रुपये का मौजूदा प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीतियों के पैरा 13(1) में प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 में बताए गए प्रावधानों के महत्त्व हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।
- विविध देनदार मद में यूपीआरवीयूएनएल के नाम पर ₹13,52,061/- की धनराशि दर्शाई गई है। दरअसल, प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सामान पूरी तरह से बरामद कर लिया गया है और उनसे कोई शेष नहीं लिया जाना है।
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार, बॉर्ड को पिछले वर्ष में कम खर्च सहित वर्ष के दौरान 41.17 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि पर किए गए वास्तविक व्यय केवल 19.51 लाख रुपये हैं, जिसके परिणामस्वरूप 21.65 लाख रुपये की कम राशि खर्च हुई। हालांकि कंपनी ने अपने द्वारा रखे गए कुल निवेश में से कमी की राशि को फिक्स्ड डिपोजिट में एफडी के रूप में निर्धारित किया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और वहां के नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट

के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### मुख्य ऑडिट

- कंपनी का वित्तीय विवरण चालू वर्ष के ₹ 95.86 करोड़ रुपये के कारोबार और भविष्य की परियोजनाओं जैसे भौतिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी चालू व्यवसाय है। प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार कंपनी की तरलता को प्रभावित करने वाला कोई स्पष्ट कारक नहीं है।
- वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के लिए पुस्तकों में ₹ 32904181/- की राशि प्रदान की गई है, जिसमें पूर्व अवधि के लिए ₹ 19500632/- की राशि का एलडी प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कर्मचारियों के वेतन संशोधन से उत्पन्न देयता के रूप में असाधारण मदों के अंतर्गत वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 39596976/- रुपये की राशि चार्ज की गई है।
- दिनांक 01/12/2018 के पत्र के अनुसार, 566.30 एकड़ भूमि को पट्टा संख्या 938 दिनांक 12.10.1976 के माध्यम से पुडुसेरी, केरल में रजिस्ट्री के लिए इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को सौंपा गया था। भूमि के हस्तांतरण में लीज/किराया खरीद समझौता किया गया था। 2009 तक केरल सरकार/अन्य सरकारी संस्थानों को अप्रयुक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/समर्पण/आवंटन किया गया था। तहसीलदार (भूमि अभिलेख) ने कार्यवाही संख्या एफ3-2018/19231/9/500 दिनांक 10.06.2019 के माध्यम से सूचित किया कि इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ के पास सर्वेक्षण 37/13 ब्लॉक 35 में 48.9320 हेक्टेयर (120.91 एकड़) का कब्जा है और भूमि की श्रेणी 'स्वामित्व वाली संपत्ति' है। सर्वे नंबर 37/2, ब्लॉक 35 में 88.7920 हेक्टेयर (219.4 एकड़) की भूमि केंद्र सरकार के प्रेसिडेंट इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रोजेक्ट के नाम पर है और भूमि की श्रेणी 'पोरम्बोक्कु' (सरकारी भूमि) है। उपरोक्त तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 23.06.2021 को आरडीओ के समक्ष अपील दायर की गई है, ताकि 566.30 एकड़ भूमि की कुल सीमा को कंपनी की अपनी संपत्ति के रूप में दर्शाते वाला नया आदेश जारी किया जा सके। यह भूमि केरल सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई थी। इसलिए, भूमि का मूल्य ₹1/- है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारी।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 'अधिनियम' की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड को सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए

प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण धोखा त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली जानकारी से पूरी तरह मुक्त है तथा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्चस्तरीय है किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदण्डों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही गलत जानकारी यदि कोई हो, का पता लगा सके। धोखा, गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यह विचारणीय सामग्री हो सकती है, यदि यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो। यह सामान्यतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका आंकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं। और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए प्रयाप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानीया, आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हों, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

### मुद्दों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों में दिए निम्न टिप्पणी पर ध्यानाकर्षण करते हैं:-

- (i) लेखा टिप्पणी सं. 1 से संदर्भ में बताया गया है कि भारत सरकार के भारी उद्योग एवं पब्लिक इन्टरप्राइजेज मंत्रालय के पत्र दि. 8-12-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि यूनियन कैबिनेट ने 30-11-2016 को हुई मिटिंग में कोटा ईकाई (जिसमें कम्पनी मुख्यालय, कोटा यूनिट, पी.डी.डी.सी यूनिट एवं मार्केटिंग यूनिट यानि कोटा कम्प्लेक्स) को बन्द करने एवं पलक्कड ईकाई को केरल सरकार को हस्तान्तरित करने की सैद्धांतिक अनुमति डीपीई की गाईडलाइन्स दिनांक 7-9-2016 जो क्लोजर के बारे में है के अनुसार दी गई है और इसके अनुसार कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16-12-2016 की बोर्ड मिटिंग में क्लोजर का रिजोल्यूशन पारित किया है। अतः पलक्कड ईकाई के लेखों को 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर एवं कोटा कम्प्लेक्स के लेखों को 'नोट गोइंग कन्सर्न' के आधार पर बनाया गया है।
- (ii) बिंदु संख्या 32.2 के संदर्भ में, कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' द्वारा आवश्यक खंड जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रही है।
- (iii) इन्वेंटरी में ऐसे स्टॉक शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अप्रचलित, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी आइटम हैं। नोट संख्या 26.2 के अनुसार कंपनी द्वारा इन्वेंट्री अप्रचलित, अचल और धीमी गति से अनुमानित आधार पर ₹2,96 लाख की कटौती की गई है। हालांकि, इसकी पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सटीक वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।
- (iv) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ दायित्वों के लिए प्रावधान करते समय दिनांक 18.04.2024 की एक्जुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है। हम अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ दायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैरा 13(1) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अर्जित अवकाश के लिए 18971329/- रुपये का मौजूदा प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीतियों के पैरा 13(1) में प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 में बताए गए प्रावधानों के मद्देनजर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'जिस मामले पर जोर दिया गया है,

### उसके संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है'

#### अन्य मामले -

हमने कम्पनी के एकल वित्तीय वक्तव्यों में शामिल पलक्कड शाखा के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक कुल ₹134,22,42,182/- की कुल सम्पत्ति एवं कुल राजस्व ₹98,88,75,809/- दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक यह हमारी राय है कि यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है जो शाखा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

#### अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनीय (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) जो भारत की केन्द्रिय

- सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अन्तर्गत जारी किया गया है, इस आदेश के पैरा-3 और 4 के अन्तर्गत बताए विशेष मुद्दों पर जहाँ तक वे लागू होते हैं, हम अनुसंलग्नक 'अ' में वक्तव्य देते हैं।
- 2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) द्वारा वांछित पर हम अनुसंलग्नक 'ब' में भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के निर्देशों पर वक्तव्य देते हैं।
- 3 अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा वांछित पर प्रतिवेदन करते हैं कि-
- (ए) वो सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।
- (बी) हमारी राय में, ऊपर अर्हत राय पैरा के लिए आधार में वर्णित बात के प्रभाव को छोड़कर, खाते की उचित पुस्तकों जो उक्त वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में कानूनी रूप से जरूरी है जैसा हमारे खातों तथा अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है, को सही तरह से रखा गया है। जिन्हें हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त किया गया है।
- (सी) अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत शाखा अंकेक्षक / अन्य अंकेक्षकों द्वारा हमें रिपोर्ट भेजी गई है, को हमारी रिपोर्ट तैयार करने में उचित तरीके से शामिल किया गया है।
- (डी) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण एवं हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न्स संबंधित रखे गए खातों से मिलते हैं।
- (इ) हमारी राय में योग्य/प्रतिकूल पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त स्टैंडलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 संपठित नियम 7 कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 की पालना करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (एफ) हमारी राय में हमें जो सूचना एवं स्पष्टीकरण दिए गए हैं, के अनुसार वित्तीय लेन देन या मामलों पर जिनका कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव हो, पर हमारा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है।
- (जी) यह सरकारी कम्पनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015, जो कि अधिनियम की धारा 164 (2) के अंतर्गत है, के प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं हैं।
- (एच) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और उसके नियंत्रण की प्रभावशीलता पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुसंलग्नक 'स' से दी गई है।
- (आई) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जिसे अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार -
- (i) वित्तीय विवरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी कार्यवाही का प्रभाव दर्शाते हैं- वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32 देखें।
- (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।
- (iii) इनवेस्टर एज्यूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फण्ड में कम्पनी द्वारा कोई भी रकम जमा करने योग्य नहीं है।

- (iv) (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना।
- (ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है (फंडिंग पार्टियां), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना और
- (स) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया, कोई भी सामग्री गलत है।
- (v) वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 319.77 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 145.82 लाख रुपये का भुगतान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन 2 वर्षों के लिए भारत सरकार (कंपनी के शेयरधारक) को लाभांश के रूप में किया है।

**कृते : एन. सिंघल एण्ड कम्पनी**  
**चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट**  
**एफआर नं. 006249 सी**

**सीए निरंजन कुमार सिंघल**  
**साक्षीदार**  
**एम नं. 075001**

**UDIN : 24075001BKCCCM1724**  
**स्थान: जयपुर**  
**दिनांक : 07 सितम्बर 2024**

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक 'अ'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (द आर्डर) द्वारा आवश्यक रिपोर्ट (रिपोर्ट के तहत पैरा 1 में देखें) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में संलग्नक ए के संदर्भ में अन्य कानूनी विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

### 1. स्थायी सम्पत्तियों के बारे में :-

(अ) कंपनी ने आम तौर पर अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। अचल संपत्तियों की स्थिति और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र के संबंध में कुछ और विवरण भी अचल संपत्ति रजिस्टर में अपडेट किए जाने की आवश्यकता है।

कंपनी (पालघाट इकाई) ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) जैसा कि हमें बताया गया है, सभी अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस तरह के भौतिक सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई।

(स) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जाँचे गये कंपनी के लेखों एवं लीज डीड की प्रतिलिपियों, चूंकि प्रबंधन के अनुसार मूल प्रति बैंक के पास होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकी, भूमि का लीज डीड हमारे द्वारा जाँची गई जो कि कम्पनी के नाम में है। अन्य स्थायी सम्पत्तियों के बारे में हमने उनकी प्रतियों को जाँचा, चूंकि मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, सिवाय बिल्डिंग कीमत ₹ 3,32 लाख जो नोट सं. 12.6 में संदर्भित है जिसकी टाइल डीड का सम्पादन होना है एवं बम्बई के फ्लेट्स कीमत जिसकी डीड हमें प्रस्तुत नहीं की गई।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(डी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम।

### 2 सामग्री के बारे में :-

(अ) इसने हमें सूचित किया है कि प्रबंधन ने चरणबद्ध तरीके से इ-वैट्टी का भौतिक सत्यापन किया है और कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए प्रक्रिया और आवृत्ति उचित और पर्याप्त है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3 हमारी राय एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रजिस्टर में वर्णित पक्षकारों को किसी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के क्लॉज 3 (iii) (a) से (f) कम्पनी पर लागू नहीं है।

4 हमारी राय एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋण, निवेश, गारन्टी एवं सीक्यूरिटी के बारे में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 की पालना की है।

5 कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(अ) लागू नहीं होता है।

6 जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पलकड़ इकाई से संबंधित लागत रिकॉर्ड कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में उचित रूप से बनाए रखा गया है। चूंकि कोटा परिसर में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं की जाती है, इसलिए ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

### 7 वैधानिक दायित्वों के बाबत :

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कुल ₹ 6,34,45,811/- का विवादित वैधानिक बकाया है। विवरण अनुबंध ए1 के रूप में संलग्न हैं। साथ ही हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं था।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में आय के तहत कर निर्धारण में दर्ज नहीं किया गया था। (कर अधिनियम 1961)

9. (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान टर्म लोन के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की सम्पूर्ण जांच पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ई) कंपनी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (अधिनियम के तहत परिभाषित) में कोई निवेश नहीं रखती है। तदनुसार, खंड 3 (ix)(ई) लागू नहीं होता है।

(एफ) कंपनी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी

- सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (अधिनियम के तहत परिभाषित) में कोई निवेश नहीं करती है। तदनुसार, खंड 3 (ix)(एफ) लागू नहीं होता है।
10. (अ) प्रदर्शित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों सहित आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेषों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमाम्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।
11. (अ) प्रदर्शित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमों के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। (नियम 2014, केंद्र सरकार के साथ)
- (स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई विसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
12. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के प्रावधान पैरा 3 (xii) (a), 3 (xii) (b), 3 (xii) (c) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
13. हमारी राय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 व 188 एवं लागू लेखा मानकों के अनुसार सम्बन्धित पार्टियों के साथ व्यवहारों को दर्शाया गया है एवं पालना की गई है।
14. (अ) हमें और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ब) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
15. हमारे द्वारा अपनाई गई अंकेक्षण पद्धतियों एवं प्रबंध द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई नॉन केश ट्रांजेक्शन निदेशकों या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों से नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैरा 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. (अ) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi)(ए) लागू नहीं होता है।
- (ब) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi)(बी) लागू नहीं होता है।
- (स) हमारी राय में और हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
- (द) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।
17. हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।
19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उग्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूत, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो गया है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर गिरना। हालांकि, यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।
- हमारी जांच के आधार पर, धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं और कश्चरिरेट सामाजिक जिम्मेदारियों ट्वसीएसआरऋ अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार, बोर्ड को पिछले वर्ष में कम खर्च सहित वर्ष के दौरान 41.17 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि पर किए गए वास्तविक व्यय केवल 19.51 लाख रुपये हैं, जिसके परिणामस्वरूप 21.65 लाख रुपये की कमी हुई। हालांकि कंपनी ने अपने द्वारा रखे गए कुल निवेश में से कमी की राशि को एफडी में रखा है।
21. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

**कृते : एन. सिंघल एण्ड कम्पनी**  
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**  
**एफआर नं. 006249 सी**

**सीए निरंजन कुमार सिंघल**  
**साझीदार**  
**एम नं. 075001**

**UDIN : 24075001BKCCCM1724**  
**स्थान: जयपुर**  
**दिनांक : 07 सितम्बर 2024**

## अनुसंलग्नक-अ (1) विवादित वैधानिक देनदारियों का विवरण

| वर्ष               | पीएफ सम्बन्धित दायित्व | सेवा कर    | कस्टम ड्यूटी | योग        | विवरण   |
|--------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---|
| 1992-93            | -                      | -          | 1,459,824    | 1,459,824  | कलक्टर (अ) मुंबई  |
| 1993-94            | -                      | -          | 716,953      | 716,953    | कलक्टर (अ) मुंबई  |
| 1994-95            | -                      | -          | 12,770,590   | 12,770,590 | कलक्टर (अ) मुंबई एवं सीईएसटीएटी (अ) मुंबई   |
| 2004-05            | -                      | -          | 4,220,000    | 4,220,000  | सीईएसटीएटी (अ) मुंबई  |
| 2003-04 to 2006-07 | -                      | 4,751,000  | -            | 4,751,000  | सीईएसटीएटी नई दिल्ली से लम्बित  |
| 2006-07            | -                      | 7,643,892  | -            | 7,643,892  | सीईएसटीएटी से लम्बित  |
| 2007-08            | -                      | 137,766    | -            | 137,766    | सीईएसटीएटी (अपील्स) जयपुर से बकाया  |
| 2009-10            | -                      | 26,466,524 | -            | 26,466,524 | सीईएसटीएटी दिल्ली से बकाया  |
| 2023-24            | 52,79,262              | -          | -            | 52,79,262  | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14बी के तहत वेतन बकाया पर पीएफ के कारण क्षतिपूर्ति। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में उठाया गया था, जिसके लिए अपील दायर की जानी लम्बित है |
|                    | 52,79,262              | 38,999,182 | 19,167,367   | 63,445,811 |   |



## स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट 'अनुसंलग्नक-ब'

वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक के सीएजी के निर्देशों के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियमित आवश्यकता' के पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

| क्रम संख्या | विवरण / दिशा निर्देश   | लेखापरीक्षक का उत्तर  | खातों और वित्तीय विवरणों के प्रभाव पर कार्रवाई |
|-------------|--|---|--|
| 1.          | क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।  | आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन प्रक्रिया नहीं है। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं।            |
| 2.          | क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)। | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।                   | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं।            |
| 3.          | क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।  | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी विशेष योजना के लिए केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई।                              | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं।            |

कृते : एन. सिंघल एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआर नं. 006249 सी

सीए निरंजन कुमार सिंघल  
साझेदार  
एम नं. 075001

UDIN : 24075001BKCCCM1724

स्थान: जयपुर

दिनांक : 07 सितम्बर 2024

## स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट 'अनुसंगनक-स'

### कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट :-

हमने 31 मार्च, 2024 तक इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड द्वाकंपनील्लु की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अशुडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है, जिसमें पलककड में स्थित कंपनी की शाखा के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए गए उस तिथि को समाप्त वर्ष के रिटर्न शामिल हैं।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :-** आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित एवं बनाये रखने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेड ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिए जारी दिशा निर्देश लेखों में बताये गये आवश्यक घटकों के आधार पर होना चाहिए। इन उत्तरदायित्वों में डिजाइन कार्यान्वयन व आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करते हैं। ताकि व्यवसाय कुशल तरीके से एवं कम्पनी की नीतियों की पालना करते हुए, इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव, लेखों की सटीकता एवं पूर्णता एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की आवश्यकतानुसार वित्तीय सूचनाओं के विश्वसनीय एवं सटीकता के साथ बनाया जा सके।

**लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :-** हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आई सी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देश लेखों एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अनुसार मान्य है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियाँ पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्थापित हैं एवं बनाये रखे गये हैं।

किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकरणों के विषय में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतवलिता होता है। चयन की प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं। जिसके अन्तर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित है किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है। चुनी हुई प्रक्रियाएँ, अंकेक्षण के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या वक्तव्य चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो, का आकलन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों जो वित्तीय रिपोर्टों पर है हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :-** वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बन्धित है कि, उचित विस्तार से सही और काफी लेनदेन और कम्पनी की सम्पत्ति के स्वभाव को प्रतिबिम्बित करता है। (2) उचित आश्वासन देता है कि लेन-देन को आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों को तैयार किया गया है। जोकि कम्पनी की प्राप्तियों एवं किये गये व्ययों का, कम्पनी के प्रबन्धन एवं निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है। और (3) कम्पनी की सम्पत्तियों के उपयोग जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता के बारे में समय पर पता लगने व रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएँ :-** वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

**राय :-** हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टेड एकाउन्टेड संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशुडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

**कृते : एन. सिंघल एण्ड कम्पनी**  
**चार्टेड एकाउन्टेड**  
**एफआर नं. 006249 सी**

**सीए निरंजन कुमार सिंघल**  
**साझीदार**  
**एम नं. 075001**

**UDIN : 24075001BKCCCM1724**

**स्थान: जयपुर**

**दिनांक : 07 सितम्बर 2024**

## तुलन पत्र (31 मार्च 2024 को)

(₹ लाख में)

| विवरण  | नोट नं. | 31.03.2024 को |             | 31.03.2023 को |
|--|---------|---------------|-------------|---------------|
| <b>समता अंश एवं दायित्व</b>  |         |               |             |               |
| <b>1. अंशधारियों का कोष</b>  |         |               |             |               |
| (अ) अंश पूंजी  | 2       | 2,404.53      |             | 2,404.53      |
| (ब) संचित एवं अधिशेष   | 3       | (50,664.94)   |             | (50,882.35)   |
| (स) शेयर वारंट हेतु प्राप्त राशि                                   |         | -             | (48,242.41) | -             |
|  |         |               |             | (48,477.82)   |
| <b>2. अंश आवेदन पूंजी या आवंटन बाकी</b>                            | 4       |               | 12,200.96   | 12,200.96     |
| <b>3. अचल दायित्व</b>  |         |               |             |               |
| (अ) दीर्घावधि  | 5       | -             |             | -             |
| (ब) विलम्बित कर दायित्व  | 6       | -             |             | -             |
| (स) अन्य दीर्घावधि दायित्व   | 7       | 223.69        |             | 181.18        |
| (द) दीर्घावधि प्रावधान   |         | -             |             | -             |
|  |         |               | 223.69      | 181.18        |
| <b>4. चल दायित्व</b>   |         |               |             |               |
| (अ) अल्पावधि ऋण  | 8       | -             |             | -             |
| (ब) व्यापारिक भुगतान   | 9       | -             |             | -             |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया राशि                     |         | 483.02        |             | 807.46        |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि |         | 560.84        |             | 784.38        |
| घटाये - डेबिट शेयर   |         | 11.98         |             | 16.99         |
|  |         | 1,031.88      |             | 1,574.85      |
| (स) अन्य चल दायित्व  | 10      | 57,588.54     |             | 57,719.41     |
| (द) अल्पावधि प्रावधान  | 11      | 22.65         |             | 18.69         |
|  |         |               | 58,643.07   | 60,312.95     |
| <b>योग</b>   |         |               | 22,825.32   | 24,217.27     |
| <b>परिसम्पदाएं</b>   |         |               |             |               |
| <b>1. अचल परिसम्पदाएं</b>  |         |               |             |               |
| (अ) स्थाई परिसम्पदाएं  |         |               |             |               |
| (i) प्रत्यक्ष परिसम्पदाएं  | 12      | 708.87        |             | 704.91        |
| (ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पदाएं  | 12      | 38.50         |             | 51.40         |
| (iii) पूंजीगत निर्माणधीन कार्य                                     | 12      | 1.64          |             | 62.72         |
| (iv) अप्रत्यक्ष प्रगतिशील  |         | -             |             | -             |
|  |         | 749.01        |             | 819.03        |
| (ब) अचल विनिवेश  | 13      | -             |             | -             |
| (स) दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम  | 14      | 800.66        |             | 903.91        |
| (द) विलम्बित कर परिसम्पदाएं  | 6       | -             |             | -             |
| (इ) अन्य अचल परिसम्पदाएं   | 15      | 41.01         |             | 26.33         |
|  |         |               | 1,590.68    | 1,749.27      |
| <b>2. चल सम्पदाएं</b>  |         |               |             |               |
| (अ) चालू विनिवेश   | 16      | 0.04          |             | 0.04          |
| (ब) सामग्री  | 17      | 5,725.78      |             | 4,258.88      |
| (स) कार्य परियोजना, साईट पर  | 18      | -             |             | -             |
| (द) व्यापारिक प्राप्तियां  | 19      | 4,606.37      |             | 4,966.10      |
| (इ) नकद एवं नगद समान   | 20      | 514.84        |             | 968.24        |
| (एफ) बैंक बैलेंस के अलावा नकद समतुल्य                              | 20      | 5,209.19      |             | 6,140.86      |
| (एफ) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम  | 21      | 127.54        |             | 198.75        |
| (जी) अन्य चालू परिसम्पदाएं   | 22      | 5,050.88      |             | 5,935.13      |
|  |         |               | 21,234.64   | 22,468.00     |
| <b>योग</b>   |         |               | 22,825.32   | 24,217.27     |

लेखा संबंधी विवरण एवं 1 से 32 टिप्पणियां लेखा विवरण का भाग हैं

**अंजली गुप्ता**  
कम्पनी सचिव  
एम. नं. - एसीएस 49251

फूले एवं बोर्ड की ओर से  
**मदन पाल सिंह**  
निदेशक  
डीआईएन. नं. 08414417

**शंभावेल् रवि**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन. नं. 10221443

इसी तिथि को हमारे प्रतिवेदनानुसार  
रुते एन. सिंघल एण्ड एसोसिएट्स  
शोसप्राप लेखापारा  
एफ.आर.एन. - 006249 सी  
**सी.प. निरंजन कुमार सिंघल**  
सिनिटर  
एम. नं. 075001

स्थान : पलवकडू  
दिनांक : 07 सितम्बर 2024

## लाभ-हानि वक्तव्य

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण   | नोट नं. | 2023-2024 को     | 2022-2023 को    |
|---|---------|------------------|-----------------|
| <b>कार्यों से राजस्व</b>                              | 23      | 9,585.57         | 7,876.92        |
| आंतरिक उपयोग हेतु कार्य                               | 24      | -                | -               |
| <b>कुल</b>  |         |                  |                 |
| कार्यों से राजस्व (शुद्ध)                             |         | 9,585.57         | 7,876.92        |
| अन्य राजस्व   | 25      | 593.23           | 433.33          |
| <b>कुल राजस्व</b>                                     |         | <u>10,178.80</u> | <u>8310.25</u>  |
| <b>व्यय</b>   |         |                  |                 |
| सामग्री पर व्यय                                       | 26      | 4,605.85         | 3,531.43        |
| तैयार माल की सामग्री एवं निर्माणाधीन कार्य            |         |                  |                 |
| माल की स्थिति में परिवर्तन                            | 27      | (388.69)         | (302.63)        |
| कर्मचारियों पर खर्च                                   | 28      | 2,734.71         | 2,348.01        |
| सेवा तथा उप-संविदा                                    |         | 866.02           | 629.46          |
| वित्तीय लागत  | 29      | -                | -               |
| अवक्षयण एवं परिशोधन व्यय                              | 30      | 124.71           | 148.68          |
| अन्य व्यय   | 31      | 944.22           | 858.16          |
| <b>कुल व्यय</b>                                       |         | <u>8,886.82</u>  | <u>7,213.11</u> |
| <b>असामान्य एवं असाधारण मद और कर पूर्व लाभ/(हानि)</b> |         | <u>1,291.98</u>  | <u>1,097.14</u> |
| असामान्य मद   | 32.7    | (590.98)         | (611.06)        |
| <b>असाधारण मद और कर पूर्व लाभ/(हानि)</b>              |         | <u>701.00</u>    | <u>486.07</u>   |
| असाधारण मद  |         | -                | -               |
| <b>कर पूर्व लाभ/(हानि)</b>                            |         | <u>701.00</u>    | <u>486.07</u>   |
| <b>कर व्यय</b>  |         |                  |                 |
| चालू कर   |         | -                | -               |
| आस्तगत कर   |         | -                | -               |
| <b>वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)</b>                       |         | <u>701.00</u>    | <u>486.07</u>   |
| निरंतर संचालन से लाभ/(हानि)                           |         | 227.91           | 317.86          |
| निरंतर संचालन से कर खर्च                              |         | -                | -               |
| <b>निरंतर संचालन से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात्)</b>    | 32.4    | <u>227.91</u>    | <u>317.86</u>   |
| अनिरंतर संचालन से लाभ/(हानि)                          |         | 473.09           | 168.21          |
| अनिरंतर संचालन से कर खर्च                             |         | -                | -               |
| <b>निरंतर संचालन से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात्)</b>    | 32.4    | <u>473.09</u>    | <u>168.21</u>   |
| <b>निरंतर एवं अनिरंतर संचालन से लाभ/(हानि)</b>        |         | <u>701.00</u>    | <u>486.07</u>   |
| <b>मूल व मिश्रित प्रति अंश आय</b>                     | 32.9    | मूल ₹ 291.53     | 202.14          |
|   |         | तनूकृत ₹ 71.75   | 49.75           |
| (अंकित मूल्य प्रति अंश ₹1000/-)                       |         |                  |                 |

लेखा संबंधी नोटियां एवं 1 से 32 टिप्पणियां लेखा विवरण का भाग हैं

**अंजली गुप्ता**  
कम्पनी सचिव  
एम. नं. - एसीएस 49251

कृते एवं बोर्ड की ओर से  
**मदन पाल सिंह**  
निदेशक  
डीआईएन. नं. 08414417

**शंभावेल् रावि**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन. नं. 10221443

इसी तिथि को हमारे प्रतिवेदनानुसार  
**कृते एन. सिंघल एण्ड एसोसिएट्स**  
शोसप्राप्त लेखापारा  
एफ.आर.एन. - 006249 सी  
**सी.पि. निरंजन कुमार सिंघल**  
सहनिर्देशक  
एम. नं. 075001

स्थान : पलवकम्  
दिनांक : 07 सितम्बर 2024

## 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (₹ लाख में)

| विवरण   | 2023-2024  | 2022-2023  |
|---|------------|------------|
| <b>अ. परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>  |            |            |
| कर एवं साधारण मर्दों के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)  | 701.00     | 486.07     |
| मूल्य ह्रास एवं परिशोधन   | 124.71     | 148.68     |
| स्थायी सम्पत्ति के विक्रय पर हानि   | (1.63)     | (0.97)     |
| सन्देहात्मक ऋण के प्रावधान  | -          | 10.00      |
| अन्य प्रावधान   | -          | -          |
| ब्याज से आय   | (409.64)   | (327.32)   |
| अंशों से आय   | -          | -          |
| ब्याज पर खर्च   | -          | -          |
| कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ  | 414.45     | 316.46     |
| समायोजन :   |            |            |
| निवेश   | -          | -          |
| व्यापारिक प्राप्तियां   | 359.73     | (424.64)   |
| सामग्री   | (1,466.90) | (883.29)   |
| ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य चालू परिसम्पदाएं   | 1975.71    | (3,364.61) |
| व्यावसायिक भुगतान प्रावधान तथा अन्य दायित्व   | (1,627.37) | 1,041.88   |
| परिचालन गतिविधियों से कर और अन्य असाधारण मर्दों से पूर्व शुद्ध रोकड़/(व्यवहृत) कर   | (344.38)   | (3,314.20) |
| परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (व्यवहृत) असाधारण करों से पूर्व असाधारण मद-  | (344.38)   | (3,314.20) |
| परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह असाधारण मर्दों के बाद  | (344.38)   | (3,314.20) |
| <b>ब. विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>  |            |            |
| स्थायी सम्पत्तियों का क्रय  | (58.53)    | (136.68)   |
| स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय  | 3.84       | 2.12       |
| स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से हानि  | 1.63       | 0.97       |
| विनिवेश   | -          | -          |
| ब्याज से आय   | 409.64     | 327.32     |
| लाभांश प्राप्ति   | -          | -          |
| किराया एवं अन्य राजस्व  | -          | -          |
| विनियोग गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(व्यवहृत)  | 356.58     | 193.74     |
| <b>स. वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह</b>  |            |            |
| अंश आवेदन राशि  | -          | -          |
| दीर्घवधि ऋण   | -          | -          |
| उधारी   | (465.59)   | -          |
| ब्याज का भुगतान   | -          | -          |
| वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ (व्यवहृत)   | (465.59)   | -          |
| <b>- रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शुद्ध बढ़त (अ+ब+स)</b>  | (453.40)   | (3120.46)  |
| वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ एवं रोकड़ के समकक्ष   | 968.24     | 4089.70    |
| वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ के समकक्ष (देखें नोट सं. 20)  | 514.84     | 968.24     |
| <b>नोट :</b>  |            |            |
| <b>नकद और नकद समकक्ष वर्ष के अंत में शामिल हैं</b>  |            |            |
| नकद   | 3.23       | 1.70       |
| बैंक  | 0.02       | 0.02       |
| बैंकों में शेष  |            |            |
| - चालू खातों में  | 117.46     | 508.21     |
| - जमा खातों में   | 394.13     | 458.31     |
| योग   | 514.84     | 968.24     |
| नोट : 1. रोकड़ प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार बनाया गया है। 2. रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में रोकड़ एवं बैंक में शेष व बैंक में जमाएं सम्मिलित हैं। |            |            |

**अंजली गुप्ता**  
कम्पनी सचिव  
एफ. नं. - एसीएस 49251

**मदन पास सिंह**  
निदेशक  
डीआईएन. नं. 08414417

**शंभावेशू रथि**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन. नं. 10221443

इसी तिथि को हमारे प्रतिवेदानुसार  
**कृते एन. सिंघल एण्ड एसोसिएट्स**  
शोसप्राप्ट लेखापाल  
एफ.आर.एन. - 006249 सी  
**सी.प. निरंजन कुमार सिंघल**  
साझेदार  
एफ. नं. 075001

स्थान : पलक्कट्ट  
दिनांक : 07 सितम्बर 2024

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों पर टिप्पणियां

### नोट : 1 प्रमुख लेखा नीतियां

#### लेखांकन सिद्धान्त

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2016 के माध्यम से 30.11.2016 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोटा इकाई (जिसमें कॉर्पोरेट मुख्यालय, कोटा इकाई, पी-डीडीसी इकाई और मार्केटिंग इकाई अर्थात कोटा कॉम्प्लेक्स शामिल है) को बंद करने के निर्णय की सूचना दी और डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 07.09.2016 के अनुसार समयबद्ध तरीके से इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड इकाई को केरल सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। हालांकि कोटा इकाई की संपत्तियां बेची जा चुकी हैं, लेकिन चूंकि पलक्कड इकाई चालू है और कोटा इकाई का संचालन बंद करना ही है, इसलिए इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड चालू है। तदनुसार, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार 'चलती चिंता' के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें राजस्व को मान्यता दी गई है और व्यय को लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली पर दर्ज किया गया है।

#### प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय दस्तावेजों को तैयार करने में प्राक्कथनों और अनुमानों की जरूरत होती है जिनके परिणामस्वरूप दी गई परिसम्पत्तियों, देनदारियों, राजस्व तथा उक्त समय में किए गए खर्चों की संख्या प्रभावित हुई है। वास्तविक परिणाम तथा आकलनों का अंतर ही उक्त समय में मान्य है, जिसमें वे घटित हुए हैं।

#### 1. भूमि

प्रमंडल निर्मूल्य प्राप्त की गई पदधिकृत भूमि को नाम मात्र के मूल्य रूप से 1 पर मूल्यांकित करता है।

#### 2. स्थाई परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां लगातार पुराने मूल्यों पर आधारित है तथा प्रतिदेय कर और लेवी, जहां लागू है, के अनुसार ही है। समस्त लागत मूल्य स्थाई परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति तथा कमिशनिंग के बाद पूंजी में परिवर्तित कर दिए जाते हैं।

#### 3. निवेश

निवेशों को चालू और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेशों को लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है और मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब प्रबंधन की राय में ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा कुछ और हो।

#### 4. मूल्यांकन

- 4.1 कच्चा माल, सामान तथा अन्य पुर्जों को लागत मूल्य या अनुमानित वसूली मूल्य जो भी कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 4.2 संघटक (प्रक्रियाधीन सहित) लागत पर मूल्यांकित होते हैं। उत्पादन आदेश के लिए जो क्रीत संघटक खरीदे गए हैं या निर्मित किए गए हैं किन्तु जो अतिरिक्त/अप्रचलित घोषित कर दिये गए हैं उन्हें अनुमानित, स्केप मूल्य मूल्यांकित किया जाता है तथा प्रक्रियाधीन कार्यलागत या अनुमानित वसूली मूल्य पर जो भी कम हो, मूल्यांकित किये जाते हैं।
- 4.3 फुटकर औजारों एवं परिसाधनों का मूल्यांकन लागत या अनुमानित देय राशि जो भी कम हो पर किया जाता है। ₹5000/- या कम मूल्य के प्रयोगान्तर्गत औजारों व परिसाधनों को आयगत से प्रभावित किया जाता है एवं अन्य को तीन वर्षों में राइटऑफ कर दिया जाता है।

- 4.4 तैयार माल या कम्पीलिंग आइटम्स को लागत या वसूली मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। शाखा / क्षेत्र / साइट या अन्य बाहरी स्थानों पर वस्तु पर देय उत्पादन शुल्क लागत या अनुमानित वस्तु की मूल्य, जो भी कम हो, पर आंका जाता है।
- 4.5 स्कन्ध को वर्तमान स्थिति तथा दशा में लाने के लिए जो व्यय किया गया है, के सम्भावित अनुमान के लिए भारित औसत प्रणाली को अपनाया गया है।
- 4.6 ग्राहक की भूमि पर प्रक्रियाधीन कार्यों का मूल्यांकन, जहाँ 20 प्रतिशत से ज्यादा कार्य सम्पादित हो चुका है, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संविदा के 95 प्रतिशत तक किया जाता है। जहाँ अनुबंध पूरे करने हैं, वहां मूल्यांकन उद्धृत भावों एवं मूल्यों पर बातचीत के आधार पर किया गया है। आवश्यक समायोजन अनुबंध पूर्ण होने वाले वर्ष में किया जाता है।
- 4.7 स्केप यार्ड में प्राप्त होने वाले स्केप को अनुमानित विक्रय मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

#### 5. आवर्त

- 5.1 सिस्टम-बिक्री अनुबंध के संबंध में टर्नओवर का पता वर्ष के अंत में प्रत्येक अनुबंध के विरुद्ध ग्राहकों/इंजीनियरिंग को भेजे गए प्रेषणों का मूल्यांकन करके लगाया जाता है, जो वर्ष की शुरुआत में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर ऐसे अनुबंधों के आनुपातिक मूल्य पर होता है। जहां अनुबंध अंतिम रूप से तैयार हो रहे हैं, ऐसे मूल्यांकन के लिए उद्धृत/बातचीत के तहत मूल्य पर विचार किया जाता है।
- 5.2 पूर्ण हो चुके/सौंपे जा चुके सिस्टम कार्य अनुबंधों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुबंधों के अलग-अलग मूल्य पर किया जाता है। प्रगति पर चल रहे सिस्टम कार्य अनुबंधों के संबंध में टर्नओवर का पता लेखा नीति संख्या 4.6 के अनुसार ऐसे अनुबंधों का मूल्यांकन करके लगाया जाता है और वर्ष के प्रारंभ में पूर्ण/सौंपे जा चुके कार्य के समायोजन के बाद प्रगति पर चल रहे कार्य के मूल्यांकन से घटाया जाता है।
- 5.3 खुदरा बिक्री पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/रिटर्न से शुद्ध है।
- 5.4 वैध बिक्री अनुबंध के विरुद्ध प्रेषण/ग्राहक स्वीकृति के आधार पर बिक्री स्थापित की जाती है।

#### 6. मूल्यहास

##### मूर्त सम्पदाएँ-

- 6.1 अवक्षयण का प्रावधान सरल रेखा प्रणाली के आधार पर किया जाता है। स्थाई सम्पत्तियों पर अवक्षयण 1.4.1987 तक, आयकर अधिनियमों में दी गई दरों पर किया गया है, उन सम्पत्तियों पर जो 1.4.1987 से 31.03.2014 तक जोड़ी गई हैं, उनपर लागू दर, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि xiv में दी गई है। दिनांक 1.4.2014 से अवक्षयण का प्रावधान सम्पत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए हैं, के अनुसार किया गया है।
- 6.2 पट्टे पर दी गई भूमि को पट्टे की अवधि में समायोजित किया जाता है।
- 6.3 स्थाई परिसम्पत्तियां, जो कि पट्टे पर भूमि के अलावा हैं, को की दर जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (2) (ब) के अनुसार सरल रेखा प्रणाली से गणना की गई है एवं यदि सम्पदाएं जो कि 2.4.1987 से पूर्व में उपयोग में हैं, उनके लिए प्रतिशत का पूर्णांक अगले प्रतिशत पर पूर्णकृत करके लिया जाता है।
- 6.4 ₹5000/- मूल्य के सयंत्र व मशीनरी को 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयित किया जाता है। अन्य परिसम्पदाएं ₹750/- मूल्य के प्रत्येक,

जिसे 16.12.1993 से पूर्व में उपयोग किया गया है, उसे 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयित किया गया है, और वे परिसम्पदाएँ जो प्रत्येक ₹5000/- तक के मूल्य की हैं और जिसे 16.12.1993 को या उसके बाद में उपयोग में लाया गया हो, उसे 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयित किया जाता है।

- 6.5 कार्यस्थल पर परिसम्पदाओं को दिनांक 31.3.2014 तक अधिक टूट-फूट के कारण ऊंची अवक्षयण दर पर अवक्षयित किया गया है। 1.4.2014 से अवक्षयण, सम्पदाओं की उपयोगी-आयु, जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-II के अनुसार है, के आधार पर किया गया है।
- 6.6 1.4.2014 से परिसम्पदाएँ जो कि पूंजीकृत की गई है, के अवशिष्ट मूल्य को उपरोक्त क्रम संख्याक 6.2 व 6.4 की मदों को छोड़कर 5 प्रतिशत की दर पर लिया गया है।

#### अमूर्त परिसम्पदाएँ

- 6.7 नवीन उत्पादों हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रलेखों की लागत को पूंजीगत किया जाता है एवं उन्हें उनकी अनुमानित उपयोगी-आयु के आधार पर जिस दिन से उपयोग में लाया जाता है, कम्पनी अधिनियम 2013 अनुसूची द्वितीय अनुसार अवक्षयित किया जाता है।
- 6.8 सॉफ्टवेयर एवं प्रलेखों की लागत को जो कि अन्य प्रदर्शनों के लिए प्राप्त किए जाते हैं, को पूंजीगत किया जाता है तथा उन्हें जिस दिन से उपयोग में लिया गया है, उस दिन से उपयोगी आयु के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची द्वितीय के अनुसार अवक्षयित किया जाता है।
- 6.9 तकनीकी ज्ञान प्रलेख, एवं सॉफ्टवेयर की लागत का अवशिष्ट मूल्य शून्य माना गया है।

#### 7. आनुबंधिक दायित्व

शर्ताधीन पूर्ण/हस्तान्तरित अनुबंधों तथा प्रत्येक विक्रय अनुबंध के निष्पादित भाग के संबंध में उसके उत्पादन शुल्क सहित मूल्य के 5 प्रतिशत का प्रावधान आनुबंधिक परिदायित्व पूरा हो जाने पर पुनर्लिखित कर दिया जाता है। आनुबंधिक परिदायित्व के कारण किये गये खर्चों को जिसमें कम आपूर्ति, बदलना एवं अस्वीकृत वस्तुएँ सम्मिलित हैं, उस वर्ष जिसमें वे किए गए हैं, अपने स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित कर दिये जाते हैं।

#### 8. संचालन बंद करना - लेखा मानक 24 के अनुसार एक बंद संचालन उद्यमों का एक घटक है :

- अ) कि उद्यम एक योजना के अनुसार है।
- i) पूरी तरह से इसका निपटान, जैसे कि एक ही लेनदेन में घटक को बेचकर या उद्यम के शेरधारकों को घटक के स्वामित्व के डीमर्जर या स्पिन-अफ द्वारा या
- ii) प्लेसमेंट का निपटान, जैसे कि घटक की संपत्ति को बेचकर और अपनी देनदारियों को अलग-अलग बेचकर या
- iii) परित्याग के माध्यम से समाप्त करना तथा
- ब) जो व्यवसाय की एक अलग प्रमुख लाईन या संचालन का भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा
- स) जिसे परिचालन रूप से और वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि कोटा काम्प्लेक्स के लेखा सम्मेलन को बंद करने का आदेश पारित किया गया है, यह ऊपर वर्णित शर्त को

पूरा करता है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है लेकिन वित्तीय विवरण में एएस 24 के अनुसार कोई खुलासा नहीं किया गया है।

#### 9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ -

एक प्रावधान के अनुसार अब कम्पनी को किसी पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप किसी देनदारी में आती है तब ऐसी देनदारियों के सम्माहित परिणामों के निष्पादन हेतु कुछ देनदारियों के अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसे प्रावधान प्रबंधन के उन अनुमानों पर आधारित होते हैं जो वह संतुलन-प्रपत्र की तिथि तक निपटाने में सक्षम हो सकें। इनकी प्रत्येक तुलन-प्रपत्र की तिथि को समीक्षा की जाती है तथा इनको प्रबंधन के चालू आंकलन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

#### 10. परिसम्पत्तियों का अवक्षयन

परिसम्पत्तियों की स्थिति की प्रत्येक तुलन-प्रपत्र तिथि की समीक्षा की जाती है। यदि इनमें किसी आंतरिक/बाह्य कारण से यह कमी आती है तो अवक्षयन हानि तब मान्य होती है जबकि किसी परिसम्पत्ति का चालू मूल्य उससे वसूली योग्य राशि से ज्यादा हो।

#### 11. तरल हानियाँ

कीमतों में कमी, यदि कोई हो, तभी मान्य है जब वसूली योग्य हो तथा मामला प्रबंध द्वारा स्वीकृत माना जाता है।

#### 12. नकद की स्थिति का विवरण

इस नकद की स्थिति का विवरण अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा लेखा मानक 'एएस-3' के अनुसार तैयार किया गया है।

#### 13. अन्य

##### 13.1 उपदान

कम्पनी, भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई नगद संचयी पालिसी जो कि एक्स्युरियल वेल्यूरेशन पर आधारित है पर प्रीमियम की राशि के बराबर का अंशदान ग्रेच्युटी ट्रस्ट को करती है और उसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को होता है।

##### 13.2 उपार्जित अवकाश : कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संचयी पालिसी ले रखी है। इसका भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर देय है।

##### 13.3 शोध एवं विकास

स्थाई परिसम्पदा की प्राप्ति के अतिरिक्त, शोध एवं विकास पर किए गये सभी व्ययों को आगम से प्रभारित किया जाता है।

##### 13.4 विदेशी रु. के विनिमय लेखों का अनुवाद

विदेशी शाखा के विदेशी मुद्रा वाले लेखों को वार्षिक लेखों में सम्मिलित करने हेतु निम्न दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

- i) अवक्षयण जिसका रुपान्तरण स्थाई परिसम्पदा के लिए ली गई दरों पर किया जाता है, के अतिरिक्त आय-व्यय की मदों की औसत दरों पर रुपान्तरण किया जाता है।
- ii) परिसम्पदा व देयताओं का अंतिम दर पर रुपान्तरण किया जाता है।
- iii) रुपान्तरण असंगति यदि नाम पक्ष को है, तो उसका समायोजन संचित/आगम से किया जाता है।

##### 13.5 विनिमय दर

अस्तगित भुगतानों के दायित्व तथा विदेशी मुद्रा में प्राप्त व्यय राशियों का लेखा वर्ष के अंत में वर्तमान दर पर भविष्य के अनुबंधों, ज्ञात दायित्वों को छोड़कर किया जाता है।

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

(₹ लाख में)

| 2   | अंश पूंजी  |              |             |              |             |
|-----|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     | विवरण  | 31-3-2024 को |             | 31-3-2023 को |             |
|     |  | ₹            |             | ₹            |             |
|     | अधिकृत   |              |             |              |             |
|     | 2,50,000 समता अंश प्रति अंश ₹ 1,000/- (गत वर्ष 2,50,000) | 2,500        |             | 2,500        |             |
|     | निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त                            |              |             |              |             |
|     | 2,40,453 समता अंश प्रति अंश ₹ 1000 (गत वर्ष 2,40,453)    | 2,404.53     |             | 2,404.53     |             |
| 2.1 | 5% से अधिक अंश वाले अंशधारियों का विवरण:                 |              |             |              |             |
|     | अंशधारी का नाम   | 31-3-2024 को |             | 31-3-2023 को |             |
|     |  | अंशों की सं. | प्रतिशत     | अंशों की सं. | प्रतिशत     |
|     | भारत के राष्ट्रपति                                       | 240,450      | 100         | 240,450      | 100         |
| 2.2 | बकाया अंशों की स्थिति निम्न प्रदर्शित है                 |              |             |              |             |
|     | विवरण  | 31-3-2024 को |             | 31-3-2023 को |             |
|     |  | अंशों की सं. |             | अंशों की सं. |             |
|     | वर्ष के प्रारम्भ में समता अंश                            | 240,453      |             | 240,453      |             |
|     | जोड़े : वर्षान्तर्गत जारी                                | -            |             | -            |             |
|     | घटायें : वर्षान्तर्गत निरस्त                             | -            |             | -            |             |
|     | वर्ष के अन्त में समता अंश                                | 240,453      |             | 240,453      |             |
| 2.3 | नकद के अतिरिक्त जारी अंशों की कुल संख्या                 |              |             |              |             |
|     | विवरण  | 31-3-2024 को |             | 31-3-2023 को |             |
|     |  | अंशों की सं. |             | अंशों की सं. |             |
|     | समता अंशों की संख्या                                     | 753          |             | 753          |             |
| 3   | संचित एवं अधिशेष   | (₹ लाख में)  |             |              |             |
|     | विवरण  | 31-3-2024 को |             | 31-3-2023 को |             |
|     |  | ₹            | ₹           | ₹            | ₹           |
|     | <b>संचित पूंजी :</b>                                     |              |             |              |             |
|     | पिछले वित्तीय वर्षतक अनुसार लाभ हानि का विवरण            | 101.42       |             | 101.42       |             |
|     | पिछले तुलन पत्र के अनुसार                                | (50,983.77)  |             | (51,469.84)  |             |
|     | घटाएँ : 2021-22 के लिए भारत सरकार को विभाजित             | 319.17       |             |              |             |
|     | घटाएँ : 2022-23 के लिए भारत सरकार को विभाजित             | 145.82       |             |              |             |
|     | जोड़े : वर्ष में लाभ/(हानि)                              | 701.00       |             | 486.07       |             |
|     | जोड़े : अचल सम्पत्ति समायोजन                             | -            |             | -            |             |
|     | <b>शेष जमा राशि</b>                                      |              | (50,748.36) |              | (50,983.77) |
|     | घटाएँ : अन्य खर्चे, अपलेखन नहीं करने पर                  |              |             |              |             |
|     | पिछले तुलन पत्र के अनुसार                                | -            |             | -            |             |
|     | जोड़े : वर्षान्तर्गत स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति पर खर्च      | -            |             | -            |             |
|     |  | -            |             | -            |             |
|     | घटाएँ : वर्ष के अन्तर्गत बचाए गए                         | -            |             | -            |             |
|     | विलम्बित राजस्व खर्चे जो अपलेखित नहीं किए गए             | -            |             | -            |             |
|     | <b>योग</b>   | -            | (50,646.94) | -            | (50,882.35) |



## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

4. अंश राशि आवेदन पर आवंटन (₹ लाख में)

| विवरण                      | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|----------------------------|--------------|--------------|
| अंश आवेदन राशि आवंटन बकाया | 12,200.96    | 12,200.96    |

अंश राशि आवेदन जिस पर आवंटन बकाया है में निम्न शामिल है :

- 4.1 अंश राशि आवेदन पर आवंटन बकाया के तहत भारत सरकार के ऋण ₹2598.46 लाख (गत वर्ष ₹ 2598.46 लाख ) जो समत अंश राशि में परिवर्तनीय है, 2,59,846 अंशों का आवंटन बकाया है। (गत वर्ष 2,59,846) प्रतिअंश मूल्य ₹ 1000/-
- 4.2 इसमें कंपनी द्वारा प्राप्त एम.आर.एस. स्कीम के अंतर्गत ₹ 4836.00 लाख ( गत वर्ष ₹ 4836.00 लाख शामिल है। जो 3.5% के वरीयता अंशों के आवंटन हेतु प्राप्त हुए हैं। 4,83,600 (गत वर्ष 4,83,600) प्रतिअंश मूल्य ₹ 1000/-
- 4.3 भारत सरकार से ₹ 4766.50 लाख अंश जारी करने हेतु कम्पनी को प्राप्त ₹ 4766.50 लाख (प्रति अंश मूल्य 1000/-) 4,76,650 (गत वर्ष 476,650 अंश हेतु)

5. लम्बी अवधि ऋण (₹ लाख में)

|                | 31-3-2024 को |           | 31-3-2023 को |           |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                | अचल          | चल        | अचल          | चल        |
| अप्रतिभूत      |              |           |              |           |
| (i) भारत सरकार | -            | 56,317.83 | -            | 57,208.19 |
| योग            | -            | 56,317.83 | -            | 57,208.19 |

- 5.1 भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के पत्र क्रं. 5(1)/2016-PE-VIII दिनांक 08-12-2016 द्वारा सूचित किया गया कि केंद्रीय मंत्री मण्डल ने उसकी दि. 30-11-2016 को आहूत बैठक में कम्पनी की कोटा ईकाई (कोटा काम्प्लेक्स) को बन्द करने का निर्णय एवं पलक्कड ईकाई को राज्य सरकार केरल को हस्तान्तरित करने के सैद्धान्तिक फैसले के तहत, कम्पनी ने भारत सरकार से बन्द करने की प्रक्रिया में देय भुगतान हेतु रु. 58457.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त की जिसे बाद में अंश पूंजी में बदल दिया जायेगा।
- 5.2 भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23-02-2016 को जारी पत्र संख्या 5(4)/2010-पीई- VIII के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, 31-03-2016 तक भारत सरकार के 1675.00 लाख रुपये के ऋण और 2252.53 लाख रुपये के सामान्य एवं दंडात्मक ब्याज को आईईएल में आईएल की संपूर्ण शैयरधारिता को भारत सरकार को 48.16 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के प्रति समायोजित किया गया है। शेष 8.88 करोड़ रुपये को आईएल के भविष्य के पुनर्गठन/बंद करने की देयता (48.16 करोड़ रुपये - 39.28 करोड़ रुपये) के प्रति समायोजित किया जाएगा। इसलिए, शेष 8.88 करोड़ रुपये कोटा कॉम्प्लेक्स के बंद होने के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ऋण से समायोजित किया जाता है।

6. अस्थगित कर दायित्व/परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) :

**अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) :** लेखांकन मानक-22 "आय पर करों का लेखा-जोखा" के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से लेखा-जोखा में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चिन्ता नहीं है कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता निम्नानुसार हैं :

| विवरण                             | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) | -            | 14.61        |

7. अन्य दीर्घकालीन दायित्व (₹ लाख में)

| विवरण   | 31-3-2024 को |              | 31-3-2023 को |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
|   | मौजूदा ₹     | गैर मौजूदा ₹ | मौजूदा ₹     | गैर मौजूदा |
| संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य की जमाएं | -            | 33.98        | -            | 22.42      |
| कर्गचारियों के लाभ                            | -            | 189.71       | -            | 158.76     |
|   | -            | 223.69       | -            | 181.18     |

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

| 8. कम अवधि के ऋण | (₹ लाख में)  |            |              |            |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                  | 31-3-2024 को |            | 31-3-2023 को |            |
| विवरण            | मौजूदा       | गैर मौजूदा | मौजूदा       | गैर मौजूदा |
| बैंक से          |              |            |              |            |
| नकद ऋण खाता      | -            | -          | -            | -          |
|                  | -            | -          | -            | -          |

### 8.1 सुरक्षा की प्रवृत्ति :

कम्पनी की प्रतिबंधित चालू चल सम्पदा जैसे कच्चा माल, प्रक्रियाधीन माल, पुर्जे, तैयार माल, उपभोक्ता थपट्टार, उपकरण तथा औजार, ग्राहक के कार्यस्थल पर कार्यों की प्रगति एवं भावी प्राप्तिया, के रूप में प्रतिरक्षित है। बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।

### 9. व्यापारिक देयता

(₹ लाख में)

| विवरण                                    | 31-3-2024 को |                 | 31-3-2023 को |                 |
|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| व्यापारिक देयता                          |              |                 |              |                 |
| - माइक्रो एवं लघु उद्योगों को            | 483.02       | -               | 807.46       | -               |
| - माइक्रो एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य | 560.84       | 1,043.86        | 784.38       | 1,591.84        |
| स्वीकृतियाँ                              |              | -               |              |                 |
| घटाये - डेबिट शेष                        |              | 11.98           |              | 16.99           |
| <b>कुल व्यापारिक देयता</b>               |              | <b>1,031.88</b> |              | <b>1,574.85</b> |

### 9.1 व्यापारिक देय की अनुसूची

(₹ लाख में)

| विवरण                    | एक वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग    |
|--------------------------|---------------|----------|----------|----------------|--------|
| एमएसएमई                  | 465.20        | -        | -        | 17.82          | 483.02 |
| अन्य                     | 555.44        | 5.40     | -        | -              | 560.84 |
| एमएसएमई के विवादित बकाया | -             | -        | -        | -              | -      |
| अन्य के विवादित बकाया    | -             | -        | -        | -              | -      |

9.2 (अ) कम्पनी सूक्ष्म और लघु उद्योगों का बकाया है, जिनके पास 31 मार्च, 2024 को 45 दिनों से अधिक रूपये 62.89 लाख का बकाया है ( इसमें पलक्कड़ इकाई से संबंधित रूपये 45.07 लाख शामिल हैं जो 31.03.2024 को 45 दिनों से अधिक बकाया नहीं है, दस्तावेजों/मंजूरी के कारण पीओ आइटम की शर्तों के अनुसार लंबित हैं ( पिछले वर्ष रूपये 17.82 लाख में पलक्कड़ इकाई से संबंधित शून्य लाख शामिल हैं जो 45 दिनों से अधिक समय से खत्म नहीं हुआ है या बकाया नहीं है)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत खुलासा किए जाने के लिए आवश्यक इस जानकारी का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है।

(ब) इसका प्रदर्शन मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के द्वारा अधि. कौ धारा 22 दिनांक 16 नवम्बर 2007 की अधिसूचना नं. जीएसआर 719 (ई) के तहत किया गया है।

| विवरण   | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
|   | ₹          | ₹          |
| (अ) मूलधन तथा उस पर भुगतान योग्य एवं बकाया ब्याज          | 483.02     | 807.46     |
| (ब) भाग 16 के तहत ब्याज का भुगतान                         | -          | -          |
| (स) बकाया ब्याज तथा भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिये देय | -          | -          |
| (द) कुल ब्याज तथा बाकी रहा                                | -          | -          |
| (इ) बकाया ब्याज एवं आगामी वर्षों में देय                  | -          | -          |

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

| 10. अन्य मौजूदा देनदारियाँ                                    |                  | (₹ लाख में)      |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| विवरण   | 31.03.2024 को    | 31.03.2023 को    |          |
| लागू अवधि के ऋण के वर्तमान परिपक्वता, (नोट सं.5 के संदर्भ से) | 56,317.83        | 57,206.19        |          |
| <b>ग्राहकों से अग्रिम :</b>                                   |                  |                  |          |
| (अ) सिस्टम को ठेके से   | -                | -                |          |
| घटाएँ : खाता भुगतान पर काम करने के लिए हस्तान्तरित            |                  |                  |          |
| साइट में प्रगति (कच्चा के आधार पर)                            | -                | -                | -        |
| खुदरा बिक्री  | 345.34           | 340.69           |          |
| खर्च के लिए   | 630.35           | 641.93           |          |
| अन्य  | 156.69           | 392.26           |          |
| कर्मचारी लाभ  | -                | 787.04           | 1,034.19 |
| ब्याज उपार्जित किन्तु अदेय                                    |                  | -                | -        |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य से जमापं                    |                  | 138.33           | 138.33   |
| <b>योग</b>  | <b>57,588.54</b> | <b>58,719.41</b> |          |

| 11. अल्पकालिक प्रावधान                            |              | (₹ लाख में)  |  |
|---|--------------|--------------|--|
| विवरण   | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |  |
| - आयकर के लिए प्रावधान                            | -            | -            |  |
| - संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान            | -            | -            |  |
| - निर्माण परियोजनाओं पर बिक्री कर के लिए प्रावधान | -            | -            |  |
| - सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रावधान          | 22.65        | 18.69        |  |
| <b>योग</b>  | <b>22.65</b> | <b>18.69</b> |  |

11.1 परियोजना और उत्पादों, जहाँ कंपनी वारन्टी के अधीन है, के सम्बन्ध में लेखा में पर्याप्त प्रावधान एएस-29 के अनुसार किये गए हैं। प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :-

|              | 01.04.2023 को शेष बकाया | वर्ष के दौरान प्रावधान | वर्ष के दौरान प्रावधान वापसी | 31.03.2024 को समापन शेष |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|              | ₹                       | ₹                      | ₹                            | ₹                       |
| आकस्मिक व्यय | -                       | -                      | -                            | -                       |
| बिक्री कर    | -                       | -                      | -                            | -                       |
| अन्य         | -                       | -                      | -                            | -                       |
| <b>योग</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

#### 12. अवल सम्पत्तियां

(₹ लाख में)

| विवरण                         | ग्रीस ब्लॉक     |               |              | मूल्य हास       |                 |               |              |                 | नेट ब्लॉक     |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               | 01.04.2023      | वर्षांत       | वर्षांत      | 31.03.2024      | प्रकारित        | परिवर्तित     | कम           | 31.03.2024      | 31.03.2023    |               |
|                               | को              | में           | अर्थात्      | को              | में             | अर्थात्       | में          | को              | को            |               |
|                               | ₹               | ₹             | ₹            | ₹               | ₹               | ₹             | ₹            | ₹               | ₹             |               |
| 1                             | 2               | 3             | 4            | 5               | 6               | 7             | 8            | 9               | 10            | 11            |
| <b>भूखंड सम्पत्ति</b>         |                 |               |              |                 |                 |               |              |                 |               |               |
| पट्टे वाली भूमि               | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -             | -             |
| सड़क पारिवर्तित और पुलिस      | 14.60           | -             | -            | 14.60           | 13.87           | -             | -            | 13.87           | 0.73          | 0.73          |
| भवन                           | 635.68          | 16.31         | -            | 651.98          | 323.04          | 13.59         | -            | 336.63          | 315.36        | 312.63        |
| इलेक्ट्रिक प्रतिष्ठान         | 196.99          | 0.06          | -            | 197.05          | 124.74          | 15.07         | -            | 159.82          | 57.24         | 72.25         |
| सीवरजे, ड्रेनेज और जल आपूर्ति | 8.73            | -             | -            | 8.73            | 8.30            | -             | -            | 8.30            | 0.44          | 0.44          |
| फनीकर और फिटिंग               | 48.71           | 0.93          | -            | 49.64           | 47.10           | 0.43          | -            | 47.54           | 2.10          | 1.60          |
| संयंत्र और उपकरण              | 2,078.46        | 72.43         | 61.79        | 2,089.09        | 1,809.29        | 75.48         | 58.72        | 1,826.05        | 263.05        | 269.17        |
| अन्य उपकरण                    | 161.45          | 23.45         | 13.61        | 171.29          | 140.53          | 3.09          | 12.93        | 130.69          | 46.61         | 20.92         |
| परिवहन उपकरण                  | 72.38           | 6.43          | 1.94         | 76.87           | 46.21           | 4.16          | 1.84         | 47.52           | 29.35         | 27.17         |
| <b>योग अ</b>                  | <b>3,217.01</b> | <b>119.61</b> | <b>77.34</b> | <b>3,259.27</b> | <b>2,512.08</b> | <b>111.82</b> | <b>73.50</b> | <b>2,550.40</b> | <b>708.87</b> | <b>704.91</b> |
| पिछले वर्ष                    | 3,176.37        | 73.96         | 33.32        | 3,217.00        | 2,407.49        | 135.79        | 31.20        | 2,512.09        | 704.91        |               |
| <b>अभूखंड सम्पत्तियां</b>     |                 |               |              |                 |                 |               |              |                 |               |               |
| टैक्नीकाल नी हाउ              | 290.69          | 0.00          | -            | 290.69          | 239.29          | 12.89         | -            | 252.19          | 38.50         | 51.40         |
| साफ्टवेयर                     | 64.70           | -             | -            | 64.70           | 64.70           | -             | -            | 64.70           | -             | -             |
| <b>योग ब</b>                  | <b>355.38</b>   | <b>0.00</b>   | <b>-</b>     | <b>355.39</b>   | <b>303.99</b>   | <b>12.89</b>  | <b>-</b>     | <b>316.88</b>   | <b>38.50</b>  | <b>51.40</b>  |
| पिछले वर्ष                    | 355.38          | -             | -            | 355.39          | 291.09          | 12.89         | -            | 303.99          | 51.40         | -             |
| <b>योग अ+ब</b>                | <b>3,572.39</b> | <b>119.61</b> | <b>77.34</b> | <b>3,614.66</b> | <b>2,816.07</b> | <b>124.71</b> | <b>73.50</b> | <b>2,867.29</b> | <b>747.37</b> | <b>756.31</b> |
| पिछले वर्ष                    | 3,531.75        | 73.96         | 33.32        | 3,572.39        | 2,596.69        | 148.68        | 31.20        | 2,816.07        | 756.31        |               |
| पूर्वी कार्य प्रगति में       |                 |               |              |                 |                 |               |              |                 | 1.64          | 62.72         |
| पूर्वी कार्य स्टाक में        |                 |               |              |                 |                 |               |              |                 | -             | -             |
| <b>योग स</b>                  |                 |               |              |                 |                 |               |              |                 | <b>1.64</b>   | <b>62.72</b>  |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

- 12.1 कोटा में भूमि सभी बाधाओं से मुक्त निर्मित संरचना के साथ तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान सरकार को 29.08.2018 को सौंप दी गई।
- 12.2 96.13 लाख रुपए के सकल ब्लॉक में पलक्कड़ की बिल्डिंग के अलावा मुंबई में 12 फ्लैट और वडोदरा में 1 फ्लैट शामिल है तथा मुंबई में 3 फ्लैट से संबंधित 3.32 लाख रुपए हैं, जिनके लिए कंपनी के पास स्पष्ट स्वामित्व है और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया है, हालांकि, लागू दर पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।
- 12.3 लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि पर अपेक्षित हानि की हानि को सीएडी/सीएएम कार्य केंद्र पर मान्यता दी गई है तथा इसे 1/- रुपए तक घटा दिया गया है।
- 12.4 पलक्कड़ इकाई के स्वामित्व वाली भूमि, जिसकी माप 566.30 एकड़ है, को दिनांक 30.03.1964 के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के नियमों के तहत पुडुचेरी केरल में प्रिसिजन इंस्ट्रुमेंटेशन प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को रजिस्ट्री पर सौंपा गया था। दिनांक 01.12.2018 के पत्र के अनुसार, 566.30 एकड़ भूमि पट्टा संख्या 938 दिनांक 12.10.1976

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

के माध्यम से पुडुसेरी, केरल में इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को असाइनमेंट के नियम के तहत रजिस्ट्री पर सौंपी गई थी। भूमि के हस्तांतरण में कोई पट्टा/किराया खरीद समझौता निष्पादित नहीं किया गया। 2009 तक की अवधि में अन्य सरकारी संस्थानों को अप्रयुक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/समर्पण/आवंटन हुआ। तहसीलदार (भूमि अभिलेख), इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की कार्यवाही संख्या F3-2018/19231/9/500 दिनांक 10.06.2019 के तहत, 48.9320 का कब्जा है। सर्वे 37/13 ब्लॉक 35 में हेक्टेयर (120.91 एकड़) भूमि एवं भूमि की श्रेणी स्वयं की संपत्ति है। सर्वे नंबर 37/2 ब्लॉक 35 में 88.7920 हेक्टेयर (219.40 एकड़) जमीन केंद्र सरकार के नाम है। प्रिसिजन इंस्ट्रुमेंटेशन प्रोजेक्ट और भूमि की श्रेणी 'पोरम्बोक्कु' (सरकारी भूमि) है। उपरोक्त तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील 23-06-2021 को आरडीओ के समक्ष दायर की गई थी, ताकि इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड पलक्कड़ की अपनी संपत्ति के रूप में 566.30 एकड़ भूमि की कुल सीमा को इंगित करते हुए नया आदेश जारी किया जा सके। यह भूमि केरल सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई थी। इसलिए, भूमि का मूल्य ₹1/- के नाम मात्र मूल्य पर है।

#### 13. गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

| विवरण                         | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| दीर्घावधि निवेश               |              |              |
| व्यवसाय की लागत पर (सूचीबद्ध) | -            | -            |
| योग                           | -            | -            |

#### 14. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

| विवरण  | 31-3-2024 को  | 31-3-2023 को  |
|--|---------------|---------------|
| (असुरक्षित, जिसे सिवाय बताये गये के अच्छा माना है)                       |               |               |
| पूंजीगत सामानों के लिये अग्रिम   | -             | -             |
| सुरक्षा जमा  |               |               |
| - सरकारी विभागों के साथ  | -             | -             |
| - दूसरों के साथ  | -             | -             |
| <b>अन्य ऋण और अग्रिम</b>   |               |               |
| - नकद में या वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम या मूल्य की तरह प्राप्ति योग्य |               |               |
| - अच्छा माना गया   | 771.00        | 877.46        |
| - संदिग्ध माना गया   | -             | -             |
|  | <b>771.00</b> | <b>877.46</b> |
| घटाए : प्रावधान  | 771.00        | 877.46        |
| प्रीपेड खर्च   | 29.66         | 26.45         |
| - पोर्ट ट्रस्ट सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के पास शेष                   | -             | -             |
| योग  | <b>800.66</b> | <b>903.91</b> |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

#### 15. अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां

(₹ लाख में)

| विवरण                         | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| जमाएं                         |              |              |
| - सरकारी विभागों के साथ       | 11.28        | 11.28        |
| - दूसरों के साथ               | 28.08        | 13.04        |
| जमा और अग्रिम पर अर्जित ब्याज | 1.65         | 2.01         |
| योग                           | 41.01        | 26.33        |

#### 16. वर्तमान निवेश

(₹ लाख में)

| विवरण   | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|---|--------------|--------------|
| अन्य व्यापार में लागत पर (असूचीबद्ध)  |              |              |
| 350 समता अंश (गत वर्ष शून्य) प्रत्येक ₹ 10/- मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में पूर्ण प्रदत्त | 0.04         | 0.04         |
| योग   | 0.04         | 0.04         |

16.1 कोटा कामप्लेक्स को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के मद्देनजर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश विभाग को सौंप दिया गया है। भारी उद्योग, भारत सरकार, नई दिल्ली के मई 2017 में, उसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

#### 17. स्कन्ध

(₹ लाख में)

| विवरण  | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|--|--------------|--------------|
| 1. स्टोर व स्पेयर पार्ट्स                      | 112.01       | 72.07        |
| 2. औजार एवं पुर्जे                             | 62.37        | 68.32        |
| 3. अ. तैयार माल                                | 480.98       | 571.56       |
| ब. पूर्ण माल                                   | -            | 571.56       |
| 4. प्रक्रिया के काम                            | 708.25       | 395.13       |
| 5. अ. कच्चे माल                                | 331.72       | 297.46       |
| ब. ब्रोटा आउट अवयव                             | 3,284.45     | 2,274.48     |
| स. निर्मित घटक                                 | 745.99       | 579.85       |
| योग  | 5,725.78     | 4,258.88     |
| घटाए: मूल्य न्यूनिकरण असामान्य मद माने जाने से | -            | -            |
| योग  | 5,725.78     | 4,258.88     |

17.1 ऊपर इन्वेन्टरी माल में शामिल हैं:

|                   |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| अन्य लोगों के पास | 213.95 | 99.49 |
|-------------------|--------|-------|

17.2 ₹ 272.19 लाख (गत वर्ष ₹ 225.94 लाख) राशि मदों की अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य तैयार माल में शामिल, अतीत में ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के आधार पर है।

17.3 कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स, ब्रोटाआउट घटकों, निर्मित-घटकों, औजार एवं पुर्जों और स्टॉक में इम्प्लीमेंट्स जिन्हें लागत मूल्य पर माना गया है जो लागत या उससे अधिक मूल्य पर बेचे जाने की उम्मीद है, निर्माण के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।

17.4 सभी भण्डार पल्लकड़ इकाई से सम्बन्धित है।

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

#### 18. कार्य प्रणाली (कार्य स्थल पर) (\*)

(₹ लाख में)

| विवरण   | 31-3-2024 को | 31-3-2023 को |
|---|--------------|--------------|
| - प्रगति में                                    | -            | -            |
| घटाएँ: खाता भुगतान ग्राहक से (संविदा के अनुसार) | -            | -            |
| कुल   | -            | -            |

(\*) मूल्यांकन के प्रकार के लिए लेखांकन नीति 4.6 देखें

#### 19. व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

| विवरण  | 31-3-2024 को    | 31-3-2023 को    |          |          |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|
| असुरक्षित (अच्छ माना गया जब तक कि बताया ना गया हो) |                 |                 |          |          |
| <b>छह महीने से अधिक बकाया *</b>                    |                 |                 |          |          |
| - अच्छा  | 1,319.55        | 1,227.32        |          |          |
| - संदिग्ध  | 329.04          | 5,600.92        |          |          |
| <b>अन्य प्राप्तियां</b>                            |                 |                 |          |          |
| - अच्छा  | 3,266.66        | 3,704.95        |          |          |
| - संदिग्ध  | -               | -               |          |          |
|  | 4,915.25        | 10,533.19       |          |          |
| घटाएँ: प्रावधान                                    | 329.04          | 4,586.21        | 5,600.92 | 4,932.27 |
| <b>प्रतिधारण राशि **</b>                           | <b>20.16</b>    | <b>33.83</b>    |          |          |
| कुल  | <b>4,606.37</b> | <b>4,966.10</b> |          |          |

19.1 सभी विभिन्न देनदार पलवकड़ इकाई से सम्बन्धित हैं।

19.2 प्रबंधन द्वारा संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है। रुपये 5600.92 लाख (पिछले वर्ष 184.54 लाख रुपये) की राशि, जिसके लिए पिछले वर्षों में प्रावधान किया गया था, देनदारों के विरुद्ध सेट ऑफ कर दी गई है।

19.3 वर्ष 2023-24 और पिछले वर्षों के दौरान परिसमाप्त क्षति के रूप में रुपये 329.04 लाख की राशि (चालू वर्ष से संबंधित एलडी 134.03 लाख और वर्ष 2022-23 के लिए एलडी प्रावधान पूर्व अवधि 195.01 लाख) (पिछले वर्ष 7.30 लाख) को चालू वर्ष से संबंधित लाभ और हानि खाते के विवरण और पिछले वर्ष से संबंधित पूर्व अवधि के खर्चों पर चार्ज किया गया है, जैसा कि नोट संख्या 32.7 में खुलासा किया गया है।

19.4 विविध देनदार, ऋण और अग्रिम राशि जिसमें ब्याज भी शामिल है, ग्राहकों, लेनदारों के पास जमा खाते में शेष राशि, अन्य लोगों के पास और ग्राहकों की साइटों पर सामग्री और अन्य व्यक्तिगत खातों को पुस्तकों के अनुसार लिया जाता है।

19.5 व्यापार विस्तार का विवरण

(₹ लाख में)

| विवरण                               | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिये बकाया |                   |          |          |                | योग      |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------------|----------|
|                                     | 6 महीने से कम                                       | 6 महीने से 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |          |
| अविवादित व्यापार प्राप्त अच्छा माल  | 3,266.66  | 546.15            | 299.60   | 102.15   | 391.81         | 4,606.37 |
| अविवादित व्यापार संदिग्ध एवं प्रदान | -   | -                 | -        | -        | 329.04         | 329.04   |
| विवादित व्यापार प्राप्त अच्छा माल   | -   | -                 | -        | -        | -              | -        |
| विवादित व्यापार संदिग्ध एवं प्रदान  | -   | -                 | -        | -        | -              | -        |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

| 20. रोकड़ एवं बैंक जमाएँ   |                 | (₹ लाख में)     |          |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| विवरण  | 31-3-2024 को    | 31-3-2023 को    |          |
| <b>नकद और नकद समकक्ष</b>   |                 |                 |          |
| - हाथ में नकदी   | 3.23            | 1.70            |          |
| - चेकों, डीडी और टिकट (हाथ में एवं पारगमन में शामिल)                                     | 0.02            | 0.02            |          |
| <b>सूचीबद्ध बैंकों के पास</b>  |                 |                 |          |
| - चालू एवं बचत खाते में  | 117.46          | 508.21          |          |
| - साख खातों में*   | -               | -               |          |
| - मार्जिन मनी खातों में  | -               | -               |          |
| - 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के जमा  | 394.13          | 458.31          |          |
|  | <u>514.84</u>   | <u>968.24</u>   |          |
| <b>अन्य बैंक में जमा</b>   |                 |                 |          |
| सावधि जमाएँ*   |                 |                 |          |
| - जमाएँ मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक पर 12 माह से कम                                 | 3,899.09        | 6,140.86        |          |
| - जमाएँ मूल परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक  | 1,310.10        | 5,209.19        | 6,140.86 |
| - अन्य   | -               | -               | -        |
| योग  | <u>5,724.03</u> | <u>7,109.10</u> |          |
| एस-3 एवं रोकड़ प्रवाह वक्तव्य के अनुसार उपरोक्त में नगद एवं नकद समतुल्य                  | 514.84          | 968.24          |          |
| * ₹ 408.46/- लाख (गत वर्ष ₹ 63.27/- लाख) मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखे हैं शामिल हैं। |                 |                 |          |
| <b>21. अल्प अवधि ऋण और अग्रिम</b>  |                 |                 |          |
| <b>ऋण और अग्रिम</b>  |                 |                 |          |
| असुरक्षित (जब तक उल्लेखित ना किया हो अच्छे माने गये)                                     |                 |                 |          |
| - अच्छे माने गये   | 16.29           | 16.37           |          |
| - संदिग्ध माने गये   | -               | -               |          |
|  | <u>16.29</u>    | <u>16.37</u>    |          |
| घटायें: प्रावधान   | -               | 16.29           | 16.37    |
| आयकर और बिक्री कर, भुगतान अग्रिम और स्रोत पर कटौती                                       | 48.39           | 66.48           |          |
| पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि के पास शेष जमा जमाएँ:                        | 43.59           | 103.58          |          |
| - सरकारी विभागों के पास  | 6.95            | -               |          |
| - अन्य के पास  | 12.32           | 12.32           |          |
| योग  | <u>127.54</u>   | <u>198.75</u>   |          |
| <b>22. अन्य चालू सम्पत्तियां</b>   |                 |                 |          |
|  |                 | (₹ लाख में)     |          |
| विवरण  | 31-3-2024 को    | 31-3-2023 को    |          |
| जमा और अग्रिम पर अर्जित ब्याज  | 61.42           | 96.43           |          |
| जमाएँ:-  |                 |                 |          |
| - सरकारी विभागों के पास  | -               | -               |          |
| - अन्य के पास  | 0.12            | 0.32            |          |
| - दावा और अन्य वसूली योग्य राशि रु   | 166.34          | 127.02          |          |
| - अच्छे माना गया   | -               | -               |          |
| - संदिग्ध माना गया   | <u>166.34</u>   | <u>127.02</u>   |          |
| घटायें: प्रावधान   | 166.34          | 127.02          |          |
| भारत सरकार   | -               | 888.36          |          |
| अचल सम्पत्ति की बिक्री सरकार के समेकित कोष में स्थानांतरित                               | 4,823.00        | 4,823.00        |          |
| योग  | <u>5,050.88</u> | <u>5,935.13</u> |          |

22.1 भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2016 के पत्र संख्या 5(4)/2010-पीई-वIII के अनुसार सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार का 31-03-2016 तक रुपये 1675.00 लाख का ऋण और रुपये 2252.53 लाख का सामान्य और दंडात्मक ब्याज को भारत सरकार को आर्इआईएल में आईएल की संपूर्ण शेषधारिता के रुपये 48.16 करोड़ के हस्तांतरण के प्रति समायोजित किया गया है। रुपये 8.88 करोड़ की शेष राशि को आईएल के भविष्य के पुनर्गठन/बंद करने की देयता (रुपये 48.16 करोड़ - 39.28 करोड़ रुपये) के प्रति समायोजित किया जाएगा। इसलिए, रुपये 8.88 करोड़ की शेष राशि कोर्टा कॉम्प्लेक्स के बंद होने के खिलाफ भारत सरकार से प्राप्त ऋण से समायोजित की जाती है।



### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

**22.2** अचल संपत्तियों की बिक्री आय में जयपुर में भूमि की बिक्री के खिलाफ ₹3662.93 लाख की राशि और स्कोप काम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय की जगह के एवज में ₹1160.07 लाख की राशि शामिल है, जिसे भारत सरकार के समेकित कोष में स्थानांतरित किया गया है।

| 23. परिचालन से राजस्व          |               | (₹ लाख में)   |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|
| विवरण                          | 2023-2024 में | 2022-2023 में |  |
| अ. खुदरा बिक्री                | 9,567.76      | 7,858.35      |  |
| ब. निष्पादन                    |               |               |  |
| सिस्टम संविदा                  |               |               |  |
| 1. प्रणाली                     | -             | -             |  |
| 2. कार्य                       | -             | -             |  |
| पूर्ण व समायोजित               | -             | -             |  |
| प्रगति के रूप में 31.3.2024 की | -             | -             |  |
| घटायें :                       |               |               |  |
| - 31-3-2023 को प्रगति में      | -             | -             |  |
| स. अन्य सेवाएँ                 | 17.81         | 18.56         |  |
| कुल                            | 9,585.71      | 7,876.92      |  |

| 24. आंतरिक उपयोग के लिए किये गये कार्य |               | (₹ लाख में)   |  |
|--|---------------|---------------|--|
| विवरण                                  | 2023-2024 में | 2022-2023 में |  |
| पूँजीगत मदें                           | -             | -             |  |
| अन्य                                   | -             | -             |  |
| योग                                    | -             | -             |  |

| 25. अन्य आय                                 |               | (₹ लाख में)   |        |
|---|---------------|---------------|--------|
| विवरण                                       | 2022-2023 में | 2021-2022 में |        |
| अतिरिक्त देनदारियों की वापसी                | 49.70         | 26.77         |        |
| अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ             | 1.63          | 0.97          |        |
| व्याज                                       |               |               |        |
| - बैंक                                      | 402.63        | 324.82        |        |
| - अन्य                                      | 7.02          | 2.50          | 327.32 |
| विनियम का अंतर (शुद्ध)                      | -             | 6.53          |        |
| स्क्रैप बिक्री                              | 55.32         | 32.19         |        |
| फिराया व अन्य राजस्व                        |               |               |        |
| - टाऊनशिप                                   | 4.04          | 2.99          |        |
| - अन्य                                      | -             | 4.04          | 2.99   |
| विभिन्न आय                                  | 72.90         | 36.56         |        |
| लाभार्थ                                     |               |               |        |
| - अन्य                                      | -             | -             |        |
| - इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड | -             | -             |        |
| योग   | 593.23        | 433.33        |        |

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

### 26. खपत किये सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

| विवरण  | इकाई    | 2023-2024 में |                 | 2022-2023 में |                 |
|--|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  |         | मात्रा        | ₹               | मात्रा        | ₹               |
| <b>(अ) कच्चे माल की खपत</b>  |         |               |                 |               |                 |
| 1. स्टेनलेस स्टील और मिश्र धातु इस्पात और अन्य विशेष मिश्र धातु            | किग्रा. | 45,647        | 139.01          | 44,036        | 117.49          |
|  | मीटर    | 4,757         | 13.43           | 4,471         | 8.07            |
|  | संख्या  | 66            | 0.20            | 116           | 2.41            |
| 2. हल्के और मिश्र धातु इस्पात  | किग्रा. | 97            | 0.25            | 316           | 0.34            |
|  | मीटर    | 305           | 1.30            | 33            | 0.51            |
| 3. ताँबा और ताँबा आधारित मिश्र धातु और अन्य अलौह धातुएँ एल्युमीनियम छोड़कर | किग्रा. | 796           | 9.51            | 145           | 1.76            |
|  | मीटर    | 540           | 0.93            | 1,092         | 1.40            |
| 4. एल्युमीनियम और उसकी मिश्र धातुएँ  | किग्रा. | -             | -               | -             | -               |
|  | मीटर    | -             | -               | -             | -               |
| 5. अन्य  | किग्रा. | -             | -               | -             | -               |
|  | मीटर    | 475           | 0.64            | 445           | 0.52            |
|  | संख्या  | -             | -               | 5             | 28.01           |
|  |         |               | <b>165.27</b>   |               | <b>160.51</b>   |
| अन्य समायोजन   |         |               | -               |               | -               |
| <b>योग (अ)</b>   |         |               | <b>165.27</b>   |               | <b>160.51</b>   |
| <b>(बी) खरीदा गया माल</b>  |         |               |                 |               |                 |
| 1. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण और सब एसेम्बलियाँ  |         |               | -               |               | -               |
| 2. वायवीय फिटिंग   |         |               | -               |               | -               |
| 3. बन्दक उपकरण   |         |               | 47.62           |               | 37.36           |
| 4. अन्य सहायक उपकरण एवं सबएसेम्बलियाँ                                      |         |               | 0.13            |               | 0.05            |
| 5. मेकेनिकल, मेटेलिक उपकरण एवं सबएसेम्बलियाँ                               |         |               | 4,301.49        |               | 3,260.49        |
| 6. अधातु उपकरण एवं सबएसेम्बलियाँ   |         |               | 91.33           |               | 73.02           |
|  |         |               | <b>4,440.58</b> |               | <b>3,370.91</b> |
| अन्य उपयोग/समायोजन (निवल)  |         |               | -               |               | -               |
| <b>योग (बी)</b>  |         |               | <b>4,440.58</b> |               | <b>3,370.91</b> |
| <b>(स) पूर्ण निर्मित मर्दे *</b>   |         |               |                 |               |                 |
| -प्रारम्भिक स्टॉक  |         |               | -               |               | -               |
| -खरीद  |         |               | -               |               | -               |
| -अन्य समायोजन  |         |               | -               |               | -               |
|  |         |               | -               |               | -               |
| घटायें: बिक्री के अलावा अन्य के लिए प्रयुक्त अन्तिम स्टॉक                  |         |               | -               |               | -               |
|  |         |               | -               |               | -               |
| <b>योग (स)</b>   |         |               | -               |               | -               |
| <b>योग (अ) से (स)</b>  |         |               | <b>4,606.85</b> |               | <b>3,531.43</b> |

\*प्रतिस्थापन के मूल्य भी शामिल हैं।

26.1 उपयोग किये गये अवयवों एवं पूर्ण निर्मित सामग्री की विभिन्न प्रकार की विशिष्टियों के कारण मात्रात्मक आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

26.2 सामग्री पर व्यय अर्थात कच्चे माल, खरीदी गई वस्तुओं, पूर्ण करने वाली वस्तुओं, स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स और औजारों की खपत में 2.94 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3.16 लाख रुपये) की खरीदी गई वस्तुओं के अग्रचलित होने के कारण मूल्य में कमी शामिल है। इसमें 1.67 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.45 लाख रुपये) की निर्मित वस्तुओं के मूल्य में कमी शामिल नहीं है।

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

| 27. तैयार माल, प्रक्रिया में काम और उत्पादित माल के स्कन्ध में परिवर्तन   |                       | (₹ लाख में)     |                 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| विवरण   | 2023-2024 में         | 2022-2023 में   |                 |
| समापन शेष   |                       |                 |                 |
| (I) तैयार माल   | 480.98                | 571.56          |                 |
| (ii) प्रक्रिया में कार्य  | 708.25                | 395.13          |                 |
| (iii) निर्मित घटक   | 745.99                | 579.85          |                 |
|   | <b>कुल</b>            | <b>1,935.23</b> | <b>1,546.54</b> |
| घटायें : प्रारम्भिक शेष   |                       |                 |                 |
| (I) तैयार माल   | 571.56                | 450.23          |                 |
| (ii) प्रक्रिया में कार्य  | 395.13                | 270.57          |                 |
| (iii) निर्मित घटक   | 579.85                | 523.11          |                 |
|   | <b>कुल</b>            | <b>1,546.54</b> | <b>1,243.91</b> |
| शुद्ध बढ़ोतरी / (कमी)   | <b>388.69</b>         | <b>302.63</b>   |                 |
| 28. कर्मचारियों का लाभ खर्च   |                       | (₹ लाख में)     |                 |
| विवरण   | 2023-2024 में         | 2022-2023 में   |                 |
| वेतन, बोनस, मजदूरी एवं भत्ते  | 2,263.58              | 1,904.13        |                 |
| पीएफ योगदान   | 200.44                | 174.67          |                 |
| ग्रेज्यूटी  | 27.05                 | 34.79           |                 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय  | 243.64                | 234.42          |                 |
| <b>योग</b>  | <b>2,734.71</b>       | <b>1,856.71</b> |                 |
| 28.1 वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं पूर्वकालीन निदेशकों को पारिश्रमिक के रूप में निम्नलिखित भुगतान किये गये एवं खातों में लिखे गये :- |                       |                 |                 |
| वेतन और भत्ते   | -                     | -               |                 |
| पी एफ योगदान  | -                     | -               |                 |
| अन्य अनुलाभ   | -                     | -               |                 |
| <b>योग</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>        |                 |
| 28.2 जनसम्पर्क पर व्यय निम्न प्रकार से है :-  |                       | 2023-2024 में   | 2022-2023 में   |
| वेतन, मजदूरी, बोनस और टिप्पणी संख्या 28 में शामिल भत्ते   | -                     | -               |                 |
| टिप्पणी संख्या 31 में दिखाये गये जन सम्पर्क पर खर्च   | -                     | -               |                 |
| 29. वित्त लागत  |                       | (₹ लाख में)     |                 |
| विवरण   | 2023-2024 में         | 2022-2023 में   |                 |
| बैंक उधार   | -                     | 0.01            |                 |
| अन्य  | -                     | -               |                 |
| <b>योग</b>  | <b>-</b>              | <b>0.01</b>     |                 |
| 30. मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च   |                       | (₹ लाख में)     |                 |
| विवरण   | 2023-2024 में         | 2022-2023 में   |                 |
| <b>ह्रास</b>  |                       |                 |                 |
| मूर्त संपत्ति पर ह्रास (नोट संख्या 12)  | अ 111.82              | 135.79          |                 |
| अमूर्त संपत्ति पर ह्रास (नोट संख्या 12)   | ब 12.89               | 12.89           |                 |
| <b>आस्थगित राजस्व व्यय के परिशोधन</b>   |                       |                 |                 |
| वर्ष दौरान परिशोधन व्यय   | स -                   | -               |                 |
| <b>मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च</b>  | <b>(अ+ब+स) 124.71</b> | <b>148.68</b>   |                 |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

| 31. अन्य खर्च   |               | (₹ लाख में)   |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| विवरण   | 2023-2024 में | 2022-2023 में |               |
| निदेशकों को फीस एवं खर्च                                    | 1.72          | 1.75          |               |
| किराया  | 7.29          | 6.63          |               |
| दरें एवं कर   | 38.29         | 21.75         |               |
| बीमा  | 4.87          | 3.91          |               |
| यात्रा खर्च-निदेशक  | 8.79          | 6.90          |               |
| यात्रा खर्च-अन्य  | 47.52         | 41.42         |               |
| वाहन खर्च   | (2.66)        | 27.38         |               |
| वाहन रखरखाव   | 22.13         | 19.43         |               |
| अंकेषकों को भुगतान (लागत अंकेषक शामिल)                      |               |               |               |
| (अ) अंकेषक के रूप में                                       |               |               |               |
| -फीस  | 1.72          | 1.72          |               |
| -खर्च   | 0.03          | 0.36          | 2.08          |
| (ब) अन्य क्षमता के सम्बन्ध में                              |               |               |               |
| - सत्यापन फीस   | 9.94          | 0.44          |               |
| - कर लेखा परीक्षा फीस                                       | 0.72          | 0.54          | 0.98          |
| कानूनी खर्च   | 16.16         |               | 15.81         |
| भरम्मत व रखरखाव (वेतन और मजदूरी के अलावा)                   |               |               |               |
| - संयंत्र और मशीनरी   | 0.01          | 0.09          |               |
| - भवन   | 173.68        | 120.06        |               |
| -अन्य   | 9.12          | 14.93         | 135.08        |
| विज्ञापन व प्रचार   |               | 2.73          | 3.08          |
| व्यापार संवर्द्धन   |               | -             | -             |
| स्टोर, स्पेयर्स और औजारों की खपत                            | 142.22        |               | 151.54        |
| पैकिंग और अग्रेषण   | 256.69        |               | 200.22        |
| अन्य बिक्री और वितरण व्यय                                   | 34.14         |               | 22.51         |
| परिनिर्धारित नुकसान   | 134.03        |               | 7.30          |
| पावर एवं विद्युत  | 78.88         |               | 67.49         |
| जल प्रभार   | 30.65         |               | 14.22         |
| जन कल्याण व्यय  | 9.21          |               | 8.66          |
| सीएसआर व्यय   | 22.48         |               | 21.63         |
| अनुसंधान एवं विकास (वेतन और मजदूरी के अलावा)                | 1.28          |               | 1.32          |
| मुद्रण और स्टेनरी   | 26.52         |               | 26.01         |
| स्थाई परिसम्पत्तियों के विक्रय से हानि                      | 4.36          |               | -             |
| बैंक चार्ज  | 27.56         |               | 17.19         |
| विनिमय दर परिवर्तन (निवल)                                   | 0.20          |               | -             |
| डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन एवं टेलीफोन व्यय                    | 6.31          |               | 4.85          |
| संदिग्ध ऋण, ऋण एवं अग्रिम तथा दावों के लिए प्रावधान (शुद्ध) | -             |               | -             |
| कार्य अनुबन्ध पर बिक्री कर का प्रावधान                      | -             |               | -             |
| सिस्टम बिक्री सम्पर्क                                       | -             |               | -             |
| विविध व्यय  | 76.15         |               | 68.62         |
| पूर्व अवधि मदें (शुद्ध)                                     | (248.52)      |               | (39.57)       |
| <b>कुल</b>  | <b>944.22</b> |               | <b>858.16</b> |

| 31.1 पूर्व अवधि मदों का विवरण |               | (₹ लाख में)   |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| विवरण                         | 2023-2024 में | 2022-2023 में |              |
| <b>नामे</b>                   |               |               |              |
| वेतन, मजदूरी भत्ते            | 7.70          | -             |              |
| भरम्मत एवं रखरखाव             | 0.38          | -             |              |
| विविध खर्च                    | -             | -             |              |
| <b>कुल नामे</b>               | <b>8.08</b>   |               | <b>7.86</b>  |
| <b>जमा</b>                    |               |               |              |
| आयकर वापसी                    | 249.65        | -             |              |
| ब्याज                         | 6.95          | 39.21         |              |
| भरम्मत एवं रखरखाव             | -             | 0.04          |              |
| विविध खर्च                    | -             | 0.31          |              |
| <b>कुल जमा</b>                | <b>256.60</b> |               | <b>39.57</b> |
| <b>शुद्ध जमा/(नामे)</b>       | <b>248.52</b> |               | <b>39.57</b> |

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

32 आकस्मिक देयता के सम्बन्ध में निम्न के लिए प्रावधान नहीं किया गया : (₹ लाख में)

| विवरण  | 2023-2024 में | 2022-2023 में |
|--|---------------|---------------|
| (क) ग्राहक और दूसरों के लिए बैंकर्स द्वारा दी गई गारन्टी                 | 1,021.33      | 1,019.83      |
| (ख) अपील में सेवाकर की मांग विवादित                                      | 389.99        | 389.99        |
| (ग) अपील में सेवा शुल्क की मांग विवादित                                  | 191.67        | 191.67        |
| (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेनवैट/ पीएफ मांग के कारण                    | 52.79         | -             |
| (ङ) अनुमानित दायित्व 1997 के चे-रिवीजन एरियर्स 1.1.1997 से 22.02.2009 तक | 12,583.99     | 12,583.99     |

\* धारा 14बी के तहत पीएफ क्षति के कारण देयता बकाया वेतन के रूप में उत्पन्न हुई है, जिसका भुगतान 01.04.2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया है, जिसका भुगतान बाद की तारीखों पर किया गया। चूंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां अपीलीय प्राधिकरण ने पीएफ अधिनियम की धारा 14बी के तहत कम मांग के लिए समझौता किया है, इसलिए वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक देयता के रूप में 52.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य लाख) की राशि का खुलासा करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष अपील संख्या 254/2018 पर धरोसा किया जाता है, जहां प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को धारा 14बी के तहत कप जुमाने की छूट दी है।

निर्यात और आयात के बारे में जानकारी (₹ लाख में)

| विवरण  | 2023-2024 में |        | 2022-2023 में |        |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| (अ) विदेशी मुद्रा में कमाई                                     |               |        |               |        |
| माल के निर्यात   |               |        |               |        |
| - खुदरा बिक्री ( एफओबी आधारित)*                                | 238.70        |        | 81.64         |        |
| (ब) आयात का मूल्य ( सीआईएफ)                                    |               |        |               |        |
| -कच्चा माल   | 2.41          |        | 3.10          |        |
| -घटकों, पूरा आईएम और स्पेयर्स पार्ट्स                          | 206.92        |        | 213.88        |        |
| -पूँजगत सामान  | -             |        | -             |        |
| (स) विदेशी मुद्रा के व्यय ( विदेशी शाखा के व्यय शामिल नहीं है) |               |        |               |        |
| तकनीकी ज्ञान और दस्तावेज                                       | -             |        | -             |        |
| अन्य   | -             |        | -             |        |
| (द) उपभोग के मूल्य   |               |        |               |        |
| कच्चा माल  |               | %      |               | %      |
| - आयातित   | 8.33          | 5.04   | 5.70          | 4.23   |
| -देशी  | 156.94        | 94.96  | 128.99        | 95.77  |
| बोट आउट घटकों  |               |        |               |        |
| - आयातित   | 201.73        | 4.54   | 198.45        | 5.89   |
| -देशी  | 4,238.85      | 95.46  | 3,172.46      | 94.11  |
| स्टोर और पुर्जे  |               |        |               |        |
| -आयातित  | -             | -      | -             | -      |
| -देशी  | 142.22        | 100.00 | 151.54        | 100.00 |

\* समझे गये निर्यात ₹ शून्य ( पिछले वर्ष ₹ शून्य/-) को छोड़कर

### 32.1 प्रमुख वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण लागू-

| विवरण                          | माप की इकाई | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को | % में भिन्नता | परिवर्तन का कारण   |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| कर्मानुपात                     | एकाधिक में  | 0.36          | 0.37          | (2.80)        | लागू नहीं  |
| ऋण इक्विटी अनुपात              | एकाधिक में  | 23.42         | 23.79         | (1.55)        | लागू नहीं  |
| इन्वेन्टरी टर्नओवर अनुपात      | दिवों में   | 218           | 156           | 39.72         | छपत में बढ़ीतरी में पिछले वर्ष की तुलना में सामग्री का भंडारण बढ़ा |
| व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात | दिवों में   | 175           | 187           | (6.26)        | लागू नहीं  |
| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात     | दिवों में   | 39            | 73            | (46.16)       | एकत्रण के बड़े दिनों के कारण केवल लेनदारों का पुर्णन               |
| शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात     | दिवों में   | 354           | 270           | 31.07         | लागू नहीं  |
| शुद्ध लाभ अनुपात               | % में       | 7.31          | 6.17          | 18.51         |  |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

32.2 कम्पनी कई आम जानकारी और संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में लगी हुई है। यह बहुत मुश्किल है। कि इन विभिन्न उत्पादों की विनिर्माण के आधुनिकताओं को बांटना, संयोजन और ऐसे कई उत्पादों का परीक्षण कम्पनी की गतिविधियों के विविध प्रकृति के कारण है कि कम्पनी के जोखिम और रिटर्न भौगोलिक या आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं कर रहे हैं और कुल डेटा से निर्धारित किया जा सकता है इसलिए खण्ड रिपोर्टिंग के प्रावधान के रूप में एएस-17 के अनुसार की आवश्यकता नहीं है।

32.3 लेखा मानक 18 (ए एस-18) जो आई.सी.ए. आई. द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार सम्बन्धित पार्टियों के साथ लेन-देन नीचे दर्शाये गये हैं :-

| क्र.सं. | प्रमुख प्रबंधन कर्मी    | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ( अतिरिक्त प्रभार) | 24.03.2023 |
|---------|-------------------------|--|------------|
| 1       | श्री बी. बालासुब्रमनियन | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ( अतिरिक्त प्रभार) | 24.03.2023 |
| 2       | श्री धंगावेलु रवि       | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ( अतिरिक्त प्रभार) | 25.03.2023 |

वर्ष के दौरान सम्बन्धित पक्षों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है -

प्रमुख प्रबंधन कर्मी :-

|  | लेनदेन की प्रकृति | लेनदेन का मूल्य | सम्बन्धित पक्षों के साथ बकाया |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|
|  | ₹                 | ₹               | 31.03.2024 तक ₹               |
| श्री धंगावेलु रवि                            | पारिश्रमिक        |                 |                               |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ( अतिरिक्त प्रभार) | 25.03.2023        |                 |                               |

32.4 भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के पत्र दि. 08.12.2016 द्वारा सूचित किया गया कि केन्द्रिय मंत्रीमण्डल ने उसकी 30.11.2016 की सम्पन्न बैठक में कम्पनी की कोटा ईकाई ( जिसमें कम्पनी मुख्यालय, कोटा ईकाई, पी.डी.डी.सी. ईकाई एवं विण्णन ईकाई जिसे कोटा कॉम्प्लेक्स कहा गया है।) को बन्द करने का निर्णय एवं कम्पनी की पलक्कड ईकाई को राज्य सरकार केरल को हस्तान्तरित करने के सैद्धान्तिक फैसले को डीपीई के दि. 07.09.2016 के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना है। भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना के तहत कोटा कॉम्प्लेक्स के समस्त कर्मचारी दिनांक 18.04.2017 को व्हीआरएस/व्हीएसएस के तहत सेवा मुक्त कर दिये गये। चल एवं अचल कम्पनी का बैचान, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार पैसर्स एम एस टीसी एवं पैसर्स एनबीसीसी (इस्पात मंत्रालय का एक उपक्रम) के माध्यम से प्रगति में हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार एक 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें राजस्व को मान्यता दी गई है और खर्चों का लेखा-जोखा सटीक प्रणाली के आधार पर किया गया है। स्टैडअलोन लाभ और हानि खाते और कोटा कॉम्प्लेक्स और पलक्कड ईकाई की बैलेंस शीट नीचे दी गई है :-

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

| Particular  | Discontinuing Operation |         | Continuing Operation |          | Total     |          |
|---|-------------------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|
|   | Kota Complex            |         | Palakkad Unit        |          |           |          |
|   | 2023-24                 | 2022-23 | 2023-24              | 2022-23  | 2023-24   | 2022-23  |
| <b>कार्यों से राजस्व</b>                            |                         |         |                      |          |           |          |
| आंतरिक उपयोग हेतु कार्य                             | -                       | -       | 9,585.57             | 7,876.92 | 9,585.57  | 7,876.92 |
| कार्यों से कुल राजस्व (शुद्ध)                       | -                       | -       | -                    | -        | -         | -        |
| अन्य आय   | -                       | -       | 9,585.57             | 7,876.92 | 9,585.57  | 7,876.92 |
| कुल राजस्व  | 290.05                  | 190.25  | 303.18               | 217.26   | 593.33    | 407.51   |
| <b>व्यय</b>   | 290.05                  | 190.25  | 9,888.75             | 8,094.18 | 10,178.80 | 8,284.43 |
| सामग्री पर व्यय                                     | -                       | -       | 4,605.85             | 3,505.61 | 4,605.85  | 3,505.61 |
| रैयार माल एवं निर्माणाधीन माल के स्कंध में परिवर्तन | -                       | -       | (388.69)             | (302.63) | (388.69)  | (302.63) |
| कर्मचारियों पर खर्च                                 | -                       | 2.64    | 2,734.71             | 2,345.37 | 2,734.71  | 2,348.01 |
| सेवा एवं उप सविदा                                   | 1.30                    | 1.15    | 864.72               | 628.31   | 866.02    | 629.46   |
| वित्तीय लागत  | -                       | -       | -                    | -        | -         | -        |
| अवक्षयण एवं परिशोधन व्यय                            | 1.47                    | 1.47    | 123.24               | 147.22   | 124.71    | 148.69   |
| अन्य व्यय   | (185.81)                | 19.88   | 1,130.04             | 838.28   | 944.23    | 858.16   |
| कुल व्यय  | (183.04)                | 25.14   | 9,069.86             | 7,162.15 | 8,886.83  | 7,187.30 |
| <b>असामान्य एवं असाधारण मदों और -</b>               |                         |         |                      |          |           |          |
| <b>कर पूर्व लाभ / हानि</b>                          | 473.09                  | 165.11  | 818.89               | 932.03   | 1,291.97  | 1,097.13 |
| असामान्य मद   | -                       | 3.10    | (590.98)             | (614.16) | (590.98)  | (611.06) |
| <b>असाधारण मद और कर पूर्व - लाभ/हानि</b>            | 473.09                  | 168.21  | 227.91               | 317.87   | 701.00    | 486.08   |
| असाधारण मद  | -                       | -       | -                    | -        | -         | -        |
| <b>कर पूर्व लाभ / हानि</b>                          | 473.09                  | 168.21  | 227.91               | 317.87   | 701.00    | 486.08   |
| <b>कर व्यय</b>                                      |                         |         |                      |          |           |          |
| चालू कर   | -                       | -       | -                    | -        | -         | -        |
| अस्थगित कर  | -                       | -       | -                    | -        | -         | -        |
| <b>वर्ष के दौरान लाभ (हानि)</b>                     | 473.09                  | 168.21  | 227.91               | 317.87   | 701.00    | 486.08   |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

### 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

| विवरण                       | संचालन बंद       |                  | संचालन चालू      |                  | योग              |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | कोटा कॉम्प्लेक्स |                  | पालक्कड़ ईकाई    |                  |                  |                  |
|                             | 31.03.2024 को    | 31.03.2023 को    | 31.03.2024 को    | 31.03.2023 को    | 31.03.2024 को    | 31.03.2023 को    |
| <b>कोष का स्रोत :</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. अंशधारियों का कोष        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) अंश पूंजी               | 2,404.53         | 2,404.53         |                  |                  | 2,404.53         | 2,404.53         |
| (ब) संचित एवं अधिशेष        | (50,646.94)      | (50,882.35)      | -                | -                | (50,446.94)      | (50,882.35)      |
| 2. अंश आवेदक पूंजी          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) आवंटन बाकी              | 12,200.96        | 12,200.96        |                  |                  | 12,200.96        | 12,200.96        |
| 3. अचल दायित्व              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) दीर्घवधि उधार           | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| (ब) विलम्बित कर दायित्व     | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| (स) अन्य दीर्घवधि दायित्व   | -                | -                | 223.69           | 181.18           | 223.69           | 181.18           |
| (स) दीर्घवधि प्रावधान       | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 4. चल दायित्व               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) अल्पवधि उधार            | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| (ब) व्यापारिक भुगतान        | 17.82            | 17.82            | 1,014.06         | 1,557.03         | 1,031.88         | 1,574.85         |
| (स) अन्य चल दायित्व         | 56,676.55        | 57,575.23        | 911.99           | 1,144.18         | 57,588.54        | 58,719.41        |
| (द) अल्पवधि प्रावधान        | -                | -                | 22.65            | 18.69            | 22.65            | 18.69            |
| 5. अन्तर ईकाई लेन-देन       | (11,250.03)      | (11,240.89)      | 11,250.03        | 11,240.89        | -                | -                |
| <b>योग</b>                  | <b>9,402.90</b>  | <b>10,075.30</b> | <b>13,422.42</b> | <b>14,141.97</b> | <b>22,825.32</b> | <b>24,217.27</b> |
| <b>परिसम्पदाएँ</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (1) अचल परिसम्पदाएँ         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) स्थाई परिसम्पदाएँ       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (i) प्रत्यक्ष परिसम्पदाएँ   | 55.95            | 57.41            | 652.92           | 647.50           | 708.87           | 704.91           |
| (ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पदाएँ | -                | -                | 38.50            | 51.40            | 38.50            | 51.40            |
| (iii) पूंजीगत परिसम्पदाएँ   | -                | -                | 1.64             | 62.72            | 1.64             | 62.72            |
| (ब) अचल निवेश               | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| (स) दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम  | -                | -                | 800.66           | 903.91           | 800.66           | 903.91           |
| (द) अन्य अचल परिसम्पदाएँ    | -                | -                | 41.01            | 26.33            | 41.01            | 26.33            |
| <b>योग</b>                  | <b>55.95</b>     | <b>57.41</b>     | <b>1,534.73</b>  | <b>1,691.86</b>  | <b>1,590.68</b>  | <b>1,749.26</b>  |
| (2) चल परिसम्पदाएँ          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (अ) चालू निवेश              | 0.04             | 0.04             | -                | -                | 0.04             | 0.04             |
| (ब) सामग्री                 | -                | -                | 5,725.78         | 4,258.88         | 5,725.78         | 4,258.88         |
| (स) साईट पर परियोजना कार्य  | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| (द) व्यापारिक प्राप्ति      | -                | -                | 4,606.37         | 4,966.10         | 4,606.37         | 4,966.10         |
| (इ) नकद एवं बैंकों में शेष  | 4,357.92         | 4,110.49         | 1,366.11         | 2,998.60         | 5,724.03         | 7,109.09         |
| (फ) अल्पवधि ऋण एवं अग्रिम   | 77.00            | 95.17            | 50.54            | 103.58           | 127.54           | 198.75           |
| (ग) अन्य चालू परिसम्पदाएँ   | 4,911.99         | 5,812.18         | 138.89           | 122.95           | 5,050.88         | 5,935.12         |
| <b>योग</b>                  | <b>9,346.95</b>  | <b>10,017.88</b> | <b>11,887.69</b> | <b>12,450.11</b> | <b>21,234.65</b> | <b>22,467.98</b> |
| <b>योग</b>                  | <b>9,409.90</b>  | <b>10,075.30</b> | <b>13,422.42</b> | <b>14,141.97</b> | <b>22,825.32</b> | <b>24,217.27</b> |

### 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

### 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

| विवरण   | संचालन बंद       |                   | संचालन चालू    |                   | योग             |                   |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | कोटा कॉम्प्लेक्स |                   | पालक्कड़ ईकाई  |                   |                 |                   |
|   | 31.03.2024 को    | 31.03.2023 को     | 31.03.2024 को  | 31.03.2023 को     | 31.03.2024 को   | 31.03.2023 को     |
| <b>अ. परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>  |                  |                   |                |                   |                 |                   |
| कर एवं साधारण मर्दों के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)  | 473.09           | 168.21            | 227.91         | 317.86            | 701.00          | 486.07            |
| मूल्य ह्रास एवं परिशोधन   | 1.47             | 1.46              | 123.24         | 147.22            | 124.71          | 148.68            |
| स्थायी सम्पत्ति के विक्रय पर हानि   | -                | -                 | (1.63)         | (0.97)            | (1.63)          | (0.97)            |
| सन्देहात्मक ऋण के प्रावधान  | -                | -                 | -              | 10.00             | -               | 10.00             |
| अन्य प्रावधान   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| ब्याज से आय   | (289.89)         | (190.05)          | (119.75)       | (137.27)          | (409.64)        | (327.32)          |
| अंशों से आय   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| किराया तथा अन्य राजस्व  | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| ब्याज पर खर्च   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| <b>कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ</b>                                 | <b>184.67</b>    | <b>(20.38)</b>    | <b>229.77</b>  | <b>336.84</b>     | <b>414.44</b>   | <b>316.46</b>     |
| समायोजन :   |                  |                   |                |                   |                 |                   |
| निवेश   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| व्यापारिक प्राप्तियां   | -                | -                 | (359.76)       | (424.64)          | (359.73)        | (424.64)          |
| सामग्री   | -                | -                 | (1,466.90)     | (883.29)          | (1,466.90)      | (883.29)          |
| ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य चालू परिसम्पदाएं   | 174.78           | (1,201.75)        | (1,800.92)     | (2,162.86)        | (1,975.70)      | (3,364.61)        |
| व्यावसायिक भुगतान प्रावधान तथा अन्य दायित्व   | (679.91)         | (334.18)          | (947.45)       | 1,376.07          | 1,627.36        | 1,041.89          |
| <b>परिचालन गतिविधियों से कर और अन्य असाधारण मर्दों से पूर्व शुद्ध रोकड़/(व्यवहृत)</b> | <b>(320.46)</b>  | <b>(1,556.31)</b> | <b>(23.92)</b> | <b>(1,757.88)</b> | <b>(334.38)</b> | <b>(3,314.20)</b> |
| कर  | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (व्यवहृत) असाधारण करों से पूर्व असाधारण मद-  | (320.46)         | (1,556.31)        | (23.92)        | (1,757.88)        | (334.38)        | (3,314.20)        |
| <b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह असाधारण मर्दों के बाद</b>                 | <b>(320.46)</b>  | <b>(1,556.31)</b> | <b>(23.92)</b> | <b>(1,757.88)</b> | <b>(334.38)</b> | <b>(3,314.20)</b> |
| <b>ब. विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>  |                  |                   |                |                   |                 |                   |
| स्थायी सम्पत्तियों का क्रय  | -                | -                 | (58.54)        | (136.68)          | (58.54)         | (136.68)          |
| स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय  | -                | -                 | 3.84           | 2.12              | 3.84            | 2.12              |
| स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से हानि  | -                | -                 | 1.63           | 0.97              | 1.63            | 0.97              |
| विनिवेश   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| ब्याज से आय   | 289.89           | 190.05            | 119.75         | 137.27            | 409.64          | 327.32            |
| लाभांश प्राप्ति   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| किराया एवं अन्य राजस्व  | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| विनियोग गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(व्यवहृत)                                    | 289.89           | 190.05            | 66.68          | 3.68              | 356.57          | 193.75            |
| <b>स. वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह</b>                                    |                  |                   |                |                   |                 |                   |
| अंश आवेदन राशि  | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| दीर्घावधि ऋण  | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| भारत सरकार को लाभांश का भुगतान  | (465.59)         | -                 | -              | -                 | (465.59)        | -                 |
| उधारी   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| ब्याज का भुगतान   | -                | -                 | -              | -                 | -               | -                 |
| वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ (व्यवहृत)   | (465.59)         | -                 | -              | -                 | (465.59)        | -                 |
| <b>- रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शुद्ध बढ़त (अ+ब+स)</b>                                | <b>(496.16)</b>  | <b>(1,366.26)</b> | <b>(42.76)</b> | <b>(1,754.20)</b> | <b>(453.40)</b> | <b>(3,120.46)</b> |
| वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ के समकक्ष  | 489.40           | 1,855.65          | 478.84         | 2,233.04          | 968.24          | 4,088.70          |
| वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ के समकक्ष (देखें नोट सं. 20)                          | 458.83           | 489.40            | 56.01          | 478.84            | 514.84          | 968.24            |

**नोट :**

नकद और नकद समकक्ष वर्ष के अंत में शामिल हैं

नकद

बैंक

बैंकों में शेष

- चालू खातों में

- जमा खातों में

वर्ष के अंत कुल नकद और नकद समकक्ष

|  |        |        |       |        |        |        |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|  | -      | -      | 3.23  | 1.70   | 3.23   | 1.70   |
|  | 0.02   | 0.02   | -     | -      | -      | 0.02   |
|  | 64.68  | 41.79  | 52.78 | 466.42 | 117.46 | 508.21 |
|  | 394.13 | 447.59 | -     | 10.72  | 394.13 | 458.31 |
|  | 458.83 | 489.40 | 56.01 | 478.84 | 514.84 | 968.24 |

नोट: 1. रोकड़ प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार बनाया गया है। 2. रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में रोकड़ एवं बैंक में शेष व बैंक में जमाएं सम्मिलित हैं।



## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणीयां

(₹ लाख में)

### 32.6 सामाजिक उत्तरदायित्व:-

|  | 2023-2024  | 2022-2023 |
|--|--|-----------|
| वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली आवश्यक   | 41.17  | 22.16     |
| वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 18.69 लाख की कमी + वर्ष 2023-24 के लिए रुपये 22.48 लाख का प्रावधान   |  |           |
| किये गये व्यय की राशि  | 3.47   | 3.47      |
| वर्ष के अंत में कमी  | 21.65  | 18.69     |
| पिछले वर्ष की कमी  | 18.69  | -         |
| कमी का कारण  | अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों की पहचान में कठिनाई   |           |
| सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति   | ट्रस्टों को चिकित्सा उपकरण और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीसीटीवी स्थापना और स्कूल के लिए पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद (पिछले वर्ष- मन्नान चौरिटेबल ट्रस्ट, पिवानी, हरियाणा का नवीनीकरण, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय, किटपी, अरुणाचल प्रदेश में सीसीटीवी स्थापना।) |           |
| सम्बन्धित पार्टी के लेनदेन का विवरण  | लागू नहीं  |           |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अगले वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों की कमी को पूरा करने के लिए रुपये 18.69 लाख बैंक में सावधि जमा के रूप में चिन्हित किये गये। |  |           |

### 32.7 असामान्य मद :-

(₹ लाख में)

|  | 2022-2023     | 2021-2022     |
|--|---------------|---------------|
| 1. विविध देनदारों को बट्टे खाते में डालना (शुद्ध) (विविध देनदारों को बट्टे खाते में डालने के एवज में ग्राहकों से प्राप्त संग्रह) | -             | (3.10)        |
| 2. पिछले वर्षों के वेतन संशोधन की देयता (पालक्कड़ इकाई)  | 395.97        | 604.15        |
| 3. वर्ष 2022-23 के लिए एलडी प्रावधान पूर्व अवधि (पालक्कड़ इकाई)*   | 195.01        | -             |
| 4. पूर्व अवधि के संदिग्ध ऋण प्रावधान (पालक्कड़ इकाई)   | -             | 10.00         |
|  | <b>590.98</b> | <b>611.06</b> |

\* वर्ष 2017-18 के लिए एलडी के अलावा अन्य व्यापार प्राप्य के लिए 2023-24 के खातों में कोई प्रावधान (पिछले वर्ष रुपये 10 लाख) नहीं किया गया है, अर्थात् 5 वर्ष से अधिक पुराना प्राप्य। वर्ष 2023-24 के दौरान बनाए गए पिछले वर्षों से संबंधित पूर्व एलडी प्रावधान रुपये 195.01 लाख (पिछले वर्ष रुपये शून्य लाख) है।

- 32.8 एक्ज्यूरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी ने 31.03.2023 तक रुपये 158.77 लाख के अर्जित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया है। 2023-24 में अर्जित अवकाश नकदीकरण व्यय के लिए रुपये 30.95 लाख (पिछले वर्ष शून्य) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अर्जित अवकाश के लिए उपरोक्त प्रावधान के अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान 01.04.2021 से वेतन संशोधन के कारण भुगतान की गई पिछली अवधि की बकाया मजदूरी रुपये 365.02 लाख (पिछले वर्ष 604.16 लाख) है, जिसमें कंपनी के फंड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भुगतान की गई ग्रेज्युटी के कारण रुपये 114.43 लाख शामिल हैं।
- 32.9 ए एस-20 के प्रावधानों के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना
- | विवरण  | 31-3-2024 को ₹ | 31-3-2023 को ₹ |
|--|----------------|----------------|
| <b>ई.पी.एस. पर लाभ</b>   |                |                |
| कर परचात् लाभ असामान्य मदों से पूर्व (लाभ हानि खाता अनुसार) दिग्दर्शक के रूप में               | 701.00         | 486.07         |
| शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य 1000/- ₹.)   | 240,453        | 240,453        |
| औसत शेयरों की संख्या प्रति शेयर आय की गणना हेतु  | 240,453        | 240,453        |
| औसत शेयरों की संख्या प्रति शेयर घुलनशील  | 976,949        | 976,949        |
| प्रति शेयर पर आधारित आय की गणना हेतु आय (₹. प्रत्येक शेयर) (प्रत्येक का अंकित मूल्य 1000/- ₹.) | 291.53         | 202.15         |
| प्रति शेयर पर घुलनशील आय (₹. प्रत्येक शेयर) (प्रत्येक का अंकित मूल्य 1000/- ₹.)                | 71.75          | 49.75          |
- 32.10 जहां भी आवश्यक माना गया आंकड़ों को निकटतम रूप में परिवर्तित किया गया है। कोष्ठक ( ) में अंकित आंकड़े कटीती दर्शाते हैं।
- 32.11 जहां जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / समूहित किया गया है।
- 32.12 पलक्कड़ यूनिट के आंकड़े जहां आवश्यक हुये पुनः वर्गीकृत / समूहित किये गये हैं।
- 32.13 नोट सं. 1 से 32 बैलेन्स शीट और लाभ और हानि और नकद प्रवाह के अभिन अंग है।

**अंजली गुप्ता**  
कम्पनी सचिव  
एम. नं. - एसीएस 49251

कृते एवं बोर्ड की ओर से  
**मदन पाल सिंह**  
निदेशक  
डीआईएन. नं. 08414417

**शंभावेतू रवि**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन. नं. 10221443

इसी तिथि को हमारे प्रतिवेदानुसार  
कृते **एन. सिंघल एण्ड एसोसिएट्स**  
शासप्राप्त लेखापाल  
एफ.आर.एन. - 006249 सी  
**सीए. निरंजन कुमार सिंघल**  
साझेदार  
एम. नं. 075001

स्थान : पलक्कड़  
दिनांक : 07 सितम्बर 2024